



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940

No. 83]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालय तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपायों पर अभातशिप (डिप्लोमा) विनियम, 2019.

फा. सं. 61-1/आरआईएफडी/7वां सीपीसी/2016-17.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10(छ), (ज) और (झ) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार द्वारा सं. 1-37/2016-टीएस II, दिनांक 23 जनवरी 2019 और समसंख्यक पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2019 द्वारा दिए गए अनुमोदन के पश्चात्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1.0 संक्षिप्त नाम, प्रयोजनीयता और प्रारंभ

1.1 संक्षिप्त नाम

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ जैसे पुस्तकालय तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय—(डिप्लोमा) विनियम, 2019 है।

1.2 उन संस्थाओं की श्रेणी जिन पर विनियम लागू होते हैं

ये ऐसी प्रत्येक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्था पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा अभातशिप द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित विषय-क्षेत्रों को संचालित कर रहे हैं।

1.3 प्रभावी होने की तारीख

क) वेतन मान और महंगाई भत्ता (डी.ए.) : संशोधित वेतन-मान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे।

ख) अन्य भत्ते : भत्ते जैसे अवकाश यात्रा रियायत, विशेष प्रतिकर भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, यात्रा भत्ता आदि उस तारीख से लागू होंगे जैसा केंद्रीय सरकार/संबंधित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

1.4 सेवा शर्तों के प्रभावी होने की तारीख

- क) अन्य सभी सेवा शर्तें जिनमें योग्यता, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां आदि शामिल हैं, इस राजपत्र अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी।
- ख) 01.01.2016 से इस राजपत्र अधिसूचना के जारी होने तक योग्यताएं, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां आदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं विनियम, 2010 दिनांक 05 मार्च 2010 तथा समय-समय पर जारी पश्चात्पूर्वी अधिसूचनाओं द्वारा प्रशासित की जाएंगी।
- ग) जो अभ्यर्थी इस राजपत्र के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् प्रोन्नति के लिए पात्र हैं, उन्हें आवश्यक शर्तों की पूर्ति करनी होगी जैसे कि : अतिरिक्त योग्यताएं, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षाशास्त्र प्रशिक्षण, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाग लेना, शोध पत्र जारी करना आदि। तथापि, इन अपेक्षाओं की पूर्ति 31 जुलाई, 2022 तक किए जाने की अनुमति होगी ताकि संकाय सदस्य पात्रता की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के लाभ प्राप्त करने के लिए इस राजपत्र की अपेक्षित अनिवार्य अपेक्षाओं से स्वयं को सुसज्जित करने में समर्थ हो सकें।
- घ) इस बात पर ध्यान दिया जाए कि, इसमें 31 जुलाई, 2022 के बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा तथा जो अभ्यर्थी उपर्युक्त छूट की अवधि के बावजूद अनिवार्य मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं, वे भूतलक्षी प्रभाव में प्रोन्नति प्राप्त करने का अवसर खो देंगे। तत्पश्चात् वे उस तिथि से प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे, जिस तिथि को वह ये पात्रताएं प्राप्त कर लेंगे।
- ङ) ऐसे मामलों में, जहां यदि सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नतियों के लिए साक्षात्कार पहले ही संचालित कर लिए गए हैं परंतु उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, वहां ऐसे उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी। उनका आगामी उन्नयन इस अधिसूचना द्वारा प्रशासित होगा।
- च) ऐसे मामलों में, जहां विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, आवेदन आमंत्रित किए गए थे परंतु साक्षात्कार इस अधिसूचना के प्रकाशन तक संचालित नहीं किए गए, संस्थानों/नियोजकों से अपेक्षित है कि वे शुद्धिपत्र प्रकाशित करें और आवेदनों का प्रक्रमण इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार किया जाए।

2.0 सामान्य

2.1 संशोधित पदनाम और नियुक्ति की पद्धति

जहां तक संवर्ग संरचना का संबंध है, डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं/पॉलिटेक्निकों में शिक्षकों के संबंध में केवल तीन पदनाम होंगे, अर्थात् **व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य** जैसाकि नीचे **तालिका-1** में दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न लेवलों पर **पुस्तकालय तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिक** के संबंध में वर्तमान पदनामों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अब से, नियुक्ति की निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा

तालिका 1 : संवर्ग संरचना एवं नियुक्ति की पद्धति

क्रम संख्या	शिक्षण संकाय के पदनाम	प्रवेश वेतन (₹0)	लेवल	नियुक्ति की पद्धति
1	व्याख्याता	56,100	9ए	सीधी भर्ती
2	व्याख्याता	57,700	10	प्रोन्नति/सीधी भर्ती
3	व्याख्याता (वरिष्ठ मान)	68,900	11	प्रोन्नति
4	व्याख्याता (चयन ग्रेड-I)	79,800	12	प्रोन्नति
5	व्याख्याता (चयन ग्रेड-II)	131,400	13ए1	प्रोन्नति
6	विभागाध्यक्ष (एचओडी)	131,400	13ए1	सीधी भर्ती
7	प्राचार्य	131,400	13ए1	प्रोन्नति/सीधी भर्ती

2.2 नई वेतन संरचना

नई वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स शामिल होगा जिसमें लेवलों की आरोही श्रृंखलाएं होंगी तथा प्रत्येक लेवल में आरोही सैल होंगे। नया वेतन मैट्रिक्स वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को एक साधारण चार्ट में सम्मिलित करेगा जैसा **अनुबंध-I** में दिया गया है। वेतन मैट्रिक्स में दो आयाम शामिल होंगे - लेवलों की क्षैतिज परिधि जो पदानुक्रम में निम्नतम लेवल से प्रारंभ होगी तथा उच्चतम लेवल तक ऊपर बढ़ेगी, जिसमें लेवलों को 9ए से 13ए1 तक संख्यांकित किया जाएगा और शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध के संपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक लेवल के भीतर, व्यक्ति के ऊर्ध्व रूप से नीचे जाने पर वेतन में वृद्धि होगी जिसमें नीचे जाने की प्रत्येक प्रोन्नति को एक 'सैल' द्वारा दर्शाया जाएगा। उस लेवल में प्रत्येक सैल 03 प्रतिशत के वार्षिक वित्तीय उन्नयन के चरणों को दर्शाता है। भर्ती/प्रोन्नति पर कर्मचारी किसी विशेष लेवल पर कार्यभार ग्रहण करेगा तथा ऊर्ध्व परिधि के अनुसार लेवल के भीतर प्रगति करेगा। यह संचलन उसकी आगामी प्रोन्नति होने

के समय तक वार्षिक वेतन-वृद्धियों पर आधारित होगा। जब कर्मचारी प्रोन्नति प्राप्त करेगा, वह क्षैतिज परिधि के समाप्त होने पर आगामी लेवल में प्रवेश करेगा।

2.3 लेवल और सैल

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति को शैक्षणिक वेतन संरचना के लिए भी अपनाया जाएगा, जिसमें वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन की अवधारणा के स्थान पर लेवल और सैल शामिल होंगे। ये परिवर्तन केवल तदनुसूची ग्रेड वेतन की तुलना में शैक्षणिक ग्रेड वेतन के संदर्भ में दो क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतरों के कारण उत्पन्न होंगे। शैक्षणिक वेतन के लिए लेवल को भी समनुसूची गैर-शैक्षणिक लेवल के अनुसार संख्यांकित किया जाएगा। अतः, लेवलों को वर्तमान रु० 5400, 6000, 7000, 8000 और 9000 के एजीपी के अनुरूप क्रमशः 9ए, 10, 11, 12, और 13ए1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

2.4 वेतन मैट्रिक्स और संशोधित वेतन का नियतन

वेतन मैट्रिक्स में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार किसी कर्मचारी के वेतन के नियतन के लिए, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को पूर्व-संशोधित संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में वेतन) को **2.57 के घटक** से गुणा किया जाएगा, निकटतम रूप में पूर्णांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार जो संख्या आएगी, उसे वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल में देखा जाएगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल के किसी सैल में ऐसी ही कोई समान संख्या प्राप्त होती है, तो वह वेतन होगी और यदि लागू लेवल में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में तत्काल आगामी उच्च सैल में कर दिया जाएगा। यदि इस तरीके से निकाली गई संख्या उस लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल के प्रथम सैल में कर दिया जाएगा (अनुबंध-I देखें)।

2.5 वेतन-वृद्धि की तारीख

- वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक सैल समान लेवल में पूर्व सैल की तुलना में 03 प्रतिशत अधिक होता है और उसे निकटतम 100 में पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक वेतन-वृद्धि समान शैक्षणिक लेवल में आगे बढ़ेगी और कर्मचारी शैक्षणिक लेवल में विद्यमान सैल से समान शैक्षणिक लेवल में तत्काल आगामी सैल में चला जाएगा।
- प्रत्येक वर्ष वेतन-वृद्धि की दो तारीखें होंगी, अर्थात् 01 जनवरी और 01 जुलाई परंतु यह कि कर्मचारी उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वितीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुसार इन दो तारीखों में से किसी एक पर ही केवल एक वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होगा।
- 02 जनवरी और 01 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 02 जुलाई और 01 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत कर्मचारी के संबंध में वेतन-वृद्धि 01 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

2.6 प्रोन्नति की वार्षिक प्रक्रिया

प्रत्येक महाविद्यालय/डीटीई यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया वार्षिक रूप से क्रियान्वित की जाए ताकि अभावतश्चिप मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित संकाय संख्या और संवर्ग अनुपात अनुरक्षित किया जाए जिससे विद्यार्थियों को कोई क्षति कारित न हो। संकाय सदस्यों की प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार एक नियमित अवधि पर वार्षिक रूप से संचालित किए जाएं ताकि संकाय सदस्यों के कैरियर विकास में किसी गतिरोध से बचा जा सके।

जो उम्मीदवार विनियमों में प्रस्तावित न्यूनतम अपेक्षा की पूर्ति नहीं करते हैं, उनका एक वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। प्रोन्नति की तारीख, वह तारीख होगी, जिसको वह समस्त न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तथा उसका सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

विभिन्न चरणों में लागू अनुवीक्षण समिति/प्रोन्नति समिति/चयन समिति का गठन **अनुबंध-II** में वर्णित किया गया है। **अनुवीक्षण/प्रोन्नति/सीधी भर्ती के विभिन्न चरणों का उल्लेख तालिका-2 में किया गया है।**

तालिका 2 : छानबीन/प्रोन्नति/सीधी भर्ती की अवस्थाएं एवं चयन की पद्धति

अवस्था	पदनाम	रीति
प्रवेश स्तर, अवस्था-I	व्याख्याता	सीधी भर्ती
अवस्था-II	व्याख्याता (वरिष्ठ मान)	स्क्रीनिंग द्वारा प्रोन्नति
अवस्था-III	व्याख्याता (चयन ग्रेड-I)	स्क्रीनिंग द्वारा प्रोन्नति
अवस्था-IV	व्याख्याता (चयन ग्रेड-II)	चयन समिति द्वारा प्रोन्नति
अवस्था-V	विभागाध्यक्ष (एचओडी)	सीधी भर्ती
अवस्था-VI	प्राचार्य	सीधी भर्ती/प्रोन्नति

जो शिक्षक प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए इच्छुक हैं, वे संबंधित महाविद्यालय/डीटीई द्वारा तैयार किए गए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में लिखित में अपनी उस देय तारीख, जिसको वह सभी अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति कर लेता है, से तीन माह के भीतर महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को समस्त प्रत्यय-पत्रों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

2.7 शोध संवर्धन अनुदान

गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रदान किए जाने वाले बल का उद्देश्य संस्थाओं में शोध और विकास का संवर्धन करना है। अतः, समस्त तकनीकी संस्थाएं शोध क्रियाकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगी।

2.8 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता

पॉलिटेक्निक शिक्षकों के वेतनमान आदि के संशोधन के कारण पूरी देयता राज्य सरकार की होगी।

2.9 अधिवर्षिता की आयु

समस्त संकाय सदस्यों तथा संस्थाओं के प्राचार्यों की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष होगी। उन संकाय सदस्यों को 5 वर्ष (70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक) का विस्तार दिया जा सकेगा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, जिन्होंने तकनीकी पुस्तकें लिखी हैं, तथा 10 में से 8 से अधिक का औसत 360 डिग्री फीडबैक प्राप्त किया है जो उन्हें सेवा के अंतिम 3 पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सक्रिय दर्शाता है।

2.10 स्वास्थ्य बीमा योजना

जहाँ कहीं सरकार द्वारा स्वयं अथवा परिवार को पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्रदान नहीं की गई है, वैयक्तिक संस्थाएं अपने संकाय सदस्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए अंशदायी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित करेंगी जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा उन्हें संबंधित संस्थाओं के प्रति आकर्षित करने और उसके साथ लंबे संबंधों के लिए वहां बनाए रखने में सहायता मिल सके। समूह स्वास्थ्य बीमा विकल्प सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को भी प्रदान किया जाना चाहिए।

2.11 पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, जीपीएफ, छुट्टी संनकदीकरण और अन्य पेंशन लाभ

छुट्टी संनकदीकरण सहित सभी पेंशन संबंधी लाभ संकाय सदस्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित संशोधित मानदण्डों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.12 औद्योगिक प्रशिक्षण

क्योंकि संकाय सदस्यों के ऊर्ध्वावर संचलन के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण अनुबंधित किया गया है, अभातशिप, राज्य सरकार/डीटीई भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फिक्की (एफआईसीसीआई), नैसकॉम (एनएएसएससीओएम) एवं अन्य इसी प्रकार के औद्योगिक निकायों से परामर्श के साथ सभी संकाय सदस्यों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करें।

2.13 शिक्षण कार्य

अभातशिप के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तकनीकी संस्थाओं में कार्य करने वाले संकाय सदस्य शिक्षण संपर्क घंटों और अन्य क्रियाकलापों सहित प्रति सप्ताह 40 घंटों से अन्यून कार्य करेंगे। ट्यूटोरियल/परियोजना/शोध/प्रशासन के कार्य को संकाय सदस्यों के मध्य आवश्यकता और कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार वितरित किया जा सकेगा।

प्रयोगशाला कार्य को भी शिक्षण घंटों में गिना जाएगा। विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम शिक्षण संपर्क घंटों नीचे तालिका 3 में दिए गए हैं।

तालिका 3 : डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में संकाय सदस्यों का शिक्षण कार्य

पदनाम	(शिक्षण/प्रयोगशाला घंटे)/सप्ताह
ब्याख्याता	18
विभागाध्यक्ष	16
प्राचार्य	6

2.14 नए प्रवेशकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन

नए प्रवेशकर्ताओं तथा विद्यमान संकाय सदस्यों को उनके कार्यालय में इंटरनेट संयोजनता के साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर/लेपटॉप/कार्यालय फर्नीचर और एक प्रिंटर प्रदान किया जाएगा ताकि वे कंप्यूटर संचालन में दक्ष बन सकें तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुँच बनाई जा सके।

2.15 वृत्तिक विकास के लिए अनुदान

सभी संकाय सदस्यों को वृत्तिक सोसाइटियों की सदस्यता प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में प्रतिभागिता करने के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर प्रतिवर्ष 25,000/- रु० तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा जिसे 03 वर्ष तक संचलित करने की अनुमति होगी।

2.16 परामर्श कार्य

- i) संस्थाओं के लिए अथवा स्वयं के लिए संसाधन सृजित करने के प्रयोजनार्थ संकाय के सदस्यों द्वारा परामर्श कार्य संचालित किया जा सकेगा।
- ii) संकाय सदस्यों को परामर्श कार्य संचालित करने में सहायता करने के प्रयोजनार्थ न केवल संकाय सदस्यों को परामर्श कार्य संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बल्कि राज्य सरकारों/संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा ऐसे कार्य करने हेतु उपयुक्त अनुकूल परिवेश का सृजन भी किया जाना चाहिए।
- iii) उन विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा जहाँ संकाय सदस्यों द्वारा परामर्श कार्य संचालित किया जाता है, सृजित किए गए संसाधनों की संस्थाओं और वैयक्तिक संकाय सदस्य के बीच साझेदारी करने के लिए उपयुक्त मापदण्ड विकसित किए जाने चाहिए और उन्हें अपनाया जाना चाहिए।
- iv) परामर्शी/उद्योग संपर्क/शोध/स्टार्ट-अप क्रियाकलापों/सामुदायिक सेवाओं में लगे संकाय सदस्यों को उनके शिक्षण संपर्क घंटों के साथ समझौता किए बगैर शिक्षण समय सारणी (टाइम-टेबल) में कतिपय समायोजन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

2.17 संकाय के लिए अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश

तकनीकी संस्था और उद्योग के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, संकाय सदस्यों को उद्योग/वृत्तिक विकास में कार्य करने के प्रयोजनार्थ छह माह का अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि संकाय के पास न्यूनतम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। तथापि, ऐसा अवकाश, किसी शिक्षक को उसके शिक्षण कैरियर में केवल दो बार ही उपलब्ध होगा।

2.18 स्टार्ट-अप

वर्तमान में, संस्थाओं को विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन और उनके नियोजन के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। भविष्य में, यह संस्थान द्वारा सृजित किए गए स्टार्ट-अप और उद्यमियों की संख्या पर भी आधारित होगा। अतः, प्रौद्योगिकी उद्भवन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा स्टार्ट-अप प्रारंभ करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों/उद्योगपतियों/पुराने विद्यार्थियों (एल्युमनी) के बीच निरंतर संपर्कों की व्यवस्था की जाएगी।

2.19 पीएच.डी./एम.फिल. तथा अन्य उच्च अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन

- i) व्याख्याता के रूप में किसी नई भर्ती के प्रवेश स्तर पर पाँच गैर-संयोजित वेतन-वृद्धियां यूजीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेशपरीक्षा, पाठ्यक्रम कार्य और बाह्य मूल्यांकन की देय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में प्रदत्त पी.एच. डी की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति अथवा पी.एच.डी में प्रवेश के लिए वैध गेट/जीपेट स्कोर रखने वाले विद्यार्थियों राष्ट्रीय डॉक्टोरल फेलोशिप कार्यक्रम/प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत पी.एच. डी कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए अनुदेय होगी।
- ii) प्रासंगिक सांविधिक निकाय/परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/ आयोजना/भेषजी/डिजाइन/नगर आयोजना आदि में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले प्रवेश स्तर पर दो गैर-संयोजित अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।
- iii) ऐसे अध्यापक जो व्याख्याता के रूप में सेवा में रहते हुए अपनी पी.एच. डी. डिग्री पूरी करते हैं, व्याख्याता के रूप में प्रवेश स्तर पर लागू नियत वेतन वृद्धि में तीन गैर-संयोजित वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यह वेतन वृद्धि तभी अनुमेय होगी, जब यह पी.एच.डी. रोजगार के प्रासंगिक विषयक्षेत्र में यूजीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेशपरीक्षा, पाठ्यक्रम कार्य और बाह्य मूल्यांकन की देय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा अथवा संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थानों द्वारा अपनाई गई प्रवेश-प्रक्रिया द्वारा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में प्रदत्त पी.एच. डी की डिग्री धारण की होगी अथवा पी.एच. डी में प्रवेश के लिए वैध गेट/जीपेट स्कोर रखने वाले विद्यार्थियों अथवा अभातशिप में गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम (क्यूआईपी)/शिक्षक शोध अध्येतावृत्ति (टीआरएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत पी.एच. डी कार्यक्रम के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए अनुदेय होगी।

2.20 सांविधिक आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/ई.बी.सी./दिव्यांग जनों/महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए सांविधिक आरक्षण नीति का संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए।

2.21 तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों हेतु गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम (क्यूआईपी) स्कीम

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों के डीटीई और उच्च शिक्षा सचिवों को सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्य कर रहे सभी पात्र शिक्षकों के लिए क्यूआईपी योजना क्रियान्वित करने का निदेश दिया जाता है। स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के प्रबंधनों को भी निदेश दिया जाता है कि वे क्यूआईपी योजना में भाग लेने के लिए अपने संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करें।

2.22 सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवा की गणना

किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा अन्य वैज्ञानिक/वृत्तिक संगठन जैसे सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, यूजीसी, अभातशिप, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर, डीबीटी अथवा राज्यों के पीएसयू आदि में व्याख्याता, सहायक

प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/कार्यशाला अधीक्षक आदि के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय, की गणना व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य अथवा अन्य नामपद्धति के रूप में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति के लिए की जाएगी, बशर्ते कि :

- क) धारित पद की अनिवार्य योग्यताएं व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के लिए, जैसा भी मामला हो, अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यताओं से न्यून न हों।
- ख) पद व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद की ही भांति समकक्ष ग्रेड अथवा पूर्व-संशोधित वेतन मान में है/था।
- ग) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन केवल उचित माध्यम से करें।
- घ) संबंधित व्यक्ति यथास्थिति, व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद में नियुक्ति के लिए अभातशिप द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समान न्यूनतम योग्यताएं धारित करता हो।
- ङ) पद को ऐसी नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/संबंधित संस्था के विनियमों में यथानिर्धारित विदित चयन प्रक्रिया के अनुरूप भरा गया हो।
- च) पूर्व नियुक्ति किसी अवधि के लिए अथवा तदर्थ अथवा एक वर्ष से कम अवधि की अवकाश रिक्ति पर अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं हो। तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा की गणना की जा सकेगी बशर्ते कि :
 1. सेवा की अवधि एक वर्ष से अधिक थी ;
 2. पदधारक की नियुक्ति सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई थी ;
 3. पदधारक का स्थायी पद पर चयन तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा के अनुक्रम में किया गया था ;
 4. सेवा में कृत्रिम व्यवधान का प्रयोग स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी के प्रति पूर्वापेक्षा रखने के लिए नहीं किया जाएगा। स्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा की गई संपूर्ण सेवा का लाभ सेवा में कृत्रिम व्यवधान/व्यवधानों के होते हुए भी मूल नियुक्ति की तारीख (अस्थायी/सविदा/तदर्थ) से दिया जाएगा।
 5. पदधारक किसी नियमित रूप से नियुक्त व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य और प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, की प्रारंभिक अवस्था पर मासिक सकल वेतन से अन्यून कुल सकल परिलब्धियां आहरित कर रहा था ; तथा
 6. चयन के समय, निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तें अनुभव की अवधि, अनुभव की प्रकृति का स्पष्टतः उल्लेख करती हों तथा नियोजक द्वारा उनकी सहमति दी गई हो।
- छ) संस्था के प्रबंधन की प्रकृति के संदर्भ में वहां कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए, जहां की गई पूर्व सेवा (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी) पर इस खंड के अंतर्गत पूर्व सेवाओं की गणना के लिए विचार किया गया था।

2.23. डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का डिग्री स्तरीय संस्थाओं के समकक्ष अनुभव

डिग्री स्तरीय संस्थाओं का डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में अनुभव को उपयुक्त स्तर पर, यथालागू, अनुभव के समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते कि वर्तमान अधिसूचना के अनुसार वेतनमान, अर्हताएं, अनुभव और शोध योगदान विचाराधीन पद के समान हों।

2.24 संवर्ग संरचना

- पदधारक संकाय सदस्यों को उस संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता का विचार किए बिना वार्षिक आधार पर संचालित की जाने वाली चयन प्रक्रिया के माध्यम से, अर्हक बनने के उपरांत उच्च पद पर उन्नयित किया जाएगा।
- पदधारक संकाय सदस्यों को उस संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता का विचार किए बिना वार्षिक आधार पर संचालित की जाने वाली चयन प्रक्रिया के माध्यम से, अर्हक बनने के उपरांत उच्च पद पर उन्नयित किया जाएगा।
- किसी उच्च संवर्ग में इस प्रकार उन्नयित हुए पदधारक को व्याख्याता (वरिष्ठ मान)/व्याख्याता (चयन ग्रेड-I)/व्याख्याता (चयन ग्रेड-II), जैसा भी मामला हो, के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।
- इस संवर्ग संरचना के साथ, सभी संकाय सदस्य व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) बन जाएंगे।
- व्याख्याता के प्रवेश पद को उस समय रिक्त माना जाएगा, जब पदधारक, कुल संस्वीकृत पदों को नियत रखते हुए प्रोन्नति के माध्यम से अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च संवर्ग/पद में प्रवेश कर जाएगा।

2.25 वेतन का नियतन

संशोधित वेतनमान में पदधारक का पदनाम और वेतन नियतन **अनुबंध-I** में दिया गया है। ऐसे पदधारक संकाय सदस्य/प्राचार्य जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार ₹0 10,000/- के एजीपी में हैं, का वेतन 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 समनुरूपी उपयुक्त सैल में किया जाएगा।

2.26 प्राचार्य के पद

1. अभातशिप अनुमोदित संस्था के प्राचार्य पूर्णकालिक संकाय होने चाहिए जिनका चयन संबंधित राज्य सरकार/डीटीई/लोक सेवा आयोग/संबंधित शासी मंडल/प्रबंधन मंडल आदि द्वारा अपनाई जाने वाले चयन की सम्यक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया हो, जिसमें अभातशिप द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अर्हताओं तथा अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया हो।
2. यह पद 5 वर्ष की अवधि के लिए संविदात्मक प्रकृति का होगा तथा इसे कार्य-निष्पादन के आधार पर एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, तथा इस अवधि को पूर्ण करने के उपरांत पदधारक अपने उस मूल संगठन में पूर्व पदनाम पर पुनः पदभार ग्रहण करेगा जहाँ से वह नियुक्त हुआ था।
3. ऐसी संस्था में, जहाँ तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत अभातशिप द्वारा अनुमोदित अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, प्राचार्य इनमें से किसी एक कार्यक्रम से अधिमानतः उस कार्यक्रम से होगा, जिसमें छात्रों की संख्या अधिकतम है।

3.0 अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण

1. इस राजपत्र के प्रकाशन के बाद से किसी भी पद पर नियुक्त/प्रोन्नत प्रत्येक शिक्षक को अभातशिप शिक्षण प्रशिक्षण नीति के अनुसार अधिमानतः सेवा के प्रथम वर्ष के भीतर 'स्वयं' में एमओओसीएस के 8 ऑनलाइन मॉड्यूलों को अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा।
2. कोई भी नया नियुक्त हुआ संकाय सदस्य इन 8 मॉड्यूलों को पूर्ण करने का प्रमाण प्राप्त किए बिना परिवीक्षा पूर्ण नहीं करेगा। शिक्षक प्रशिक्षण नीति दस्तावेज अभातशिप वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
3. इन मॉड्यूलों को पूर्ण करने की अपेक्षा, जैसी इस राजपत्र में परिकल्पित की गई है, सभी पदधारक शिक्षकों पर भी कैरियर में केवल एक बार, आगामी उच्च संवर्ग में प्रोन्नति/चयन के लिए आवेदन करते समय लागू होगी।
4. इन मॉड्यूलों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, 31 जुलाई, 2022 तक इन्हें पूरा किए जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि संकाय सदस्यों को पात्रता की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु इस राजपत्र की अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

4.0 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में व्याख्याता के रूप में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं

डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में व्याख्याता के पद पर सीधी भर्ती आवेदन के समय उम्मीदवार की अर्हताओं के आधार पर दो विभिन्न वेतन स्तरों में की जाएगी। संकाय सदस्यों के लिए सीधी भर्ती, छानबीन और प्रोन्नतियों के लिए विभिन्न लेवलों हेतु न्यूनतम अर्हता, अनुभव, शोध योगदान, प्रतिपुष्टि और अपेक्षित प्रशिक्षण अपेक्षाएं इस प्रकार हैं :-

4.1 व्याख्याता की सीधी भर्ती के लिए (लेवल-9ए, प्रवेश वेतन 56,100/-)

चार वर्ष की स्नातक डिग्री धारण करने वाले को लेवल 9ए में रु० 56,100/- के प्रवेश वेतन पर रखा जाएगा।

(क) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी

प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टेक./बी.एस. प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ।

(ख) भेषजी

बी.फार्मा. प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ।

(ग) होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी

होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ।

(घ) वास्तुकला

बी.आर्क. अथवा किसी संबद्ध क्षेत्र में चार वर्षीय डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ

(ङ) ललित कला

ललित कला के उपयुक्त विषयक्षेत्र (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला तथा मूर्तिकला) में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ

(च) डिजाईन

डिजाईन में स्नातक डिग्री अथवा डिजाईन, ललित कला, अनुप्रयुक्त कला और वास्तुकला की शाखाओं में से किसी एक में न्यूनतम 4 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ इंजीनियरी में स्नातक डिग्री

(छ) विज्ञान और मानविकी

उपयुक्त विषय में निष्णात डिग्री के साथ स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।

4.2 व्याख्याता (लेवल-10, प्रवेश वेतन 57,700/-) की सीधी भर्ती के लिए**(क) तकनीकी विषय क्षेत्रों के लिए**

प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक तथा निष्णात डिग्री जिसमें दोनों में से किसी एक में चयन के समय पर प्रथम श्रेणी।

(ख) विज्ञान एवं मानविकी

प्रासंगिक विषय क्षेत्र में निष्णात डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ तथा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी के समान परीक्षा जैसे कि स्लैट (एसएलईटी/सैट(एसईटी) अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हों।

(ग) पदधारी व्याख्याताओं की लेवल 9 से लेवल 10 में प्रोन्नति के लिए

- tकनीकी विषय क्षेत्र से उम्मीदवार को लेवल 10 के उपयुक्त सैल में उस समय रखा जाएगा, जब वह उम्मीदवार प्रासंगिक तकनीकी विषय क्षेत्र में निष्णात डिग्री प्राप्त कर लेगा।
- विज्ञान एवं मानविकी से उम्मीदवार को लेवल 10 के उपयुक्त सैल में तब रखा जाएगा जब कभी वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी के समान परीक्षा जैसे कि स्लैट (एसएलईटी/सैट(एसईटी) उत्तीर्ण कर लेगा।
- tकनीकी विषय क्षेत्र तथा विज्ञान एवं मानविकी के उम्मीदवारों के मामले में यदि उम्मीदवार प्रासंगिक निष्णात डिग्री प्राप्त नहीं करता है एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी के समान परीक्षा जैसे कि स्लैट (एसएलईटी/सैट(एसईटी) उत्तीर्ण नहीं करता है तो उन्हें केवल पांच वर्ष पूरे करने के उपरांत ही लेवल 10 के उपयुक्त सैल में रखा जाएगा।

4.3 व्याख्याता (वरिष्ठ मान) (लेवल-11, प्रवेश वेतन 68,900/-) के लिए न्यूनतम अर्हताएं

1) व्याख्याता के पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं

और

2) व्याख्याता के स्तर पर तीन सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण

और

3) अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/शिक्षक तथा शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएमटीटी)/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 2 सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम तथा जिसमें से कम-से-कम एक एफडीपी उन्नत शिक्षा शास्त्र में हो।

अथवा

3) उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम और एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन का आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

3) एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

4) न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता के कैडर में 10 के पैमाने पर 8 से 10 के बीच औसत 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

अथवा

4) न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता के कैडर में 10 के पैमाने पर 5 से <8 के बीच औसत 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

4.4 व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) (लेवल-12, प्रवेश वेतन 79,800/-) के लिए न्यूनतम अर्हताएं

1) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के पद के लिए निर्धारित अर्हता प्रासंगिक विषय में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष जिसमें स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर किसी में भी प्रथम श्रेणी डिग्री प्राप्त की हो।

और

2) व्याख्याता(वरिष्ठ मान) के स्तर पर तीन सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण

और

3) अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/शिक्षक तथा शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएमटीटी)/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 2 सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम।

अथवा

उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम और एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन का आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

4) न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता(वरिष्ठ मान) के कैडर में 10 के पैमाने पर 8 से 10 के बीच औसत 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

अथवा

4) न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता(वरिष्ठ मान) के कैडर में 10 के पैमाने पर 5 से <8 के बीच औसत 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

4.5 व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) (लेवल-13ए, प्रवेश वेतन 131,400/-) के लिए न्यूनतम अर्हताएं

1) व्याख्याता(चयन ग्रेड-I) के पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं

और

2) व्याख्याता(चयन ग्रेड-I) के स्तर पर तीन सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण

और

3) अभातशिप/यूजीसी/टीईक्यूआईपी/एनआईटीटीटीआर/शिक्षक तथा शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी)/आईआईएस/आईआईटी/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 2 सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम।

अथवा

3) उपर्युक्तानुसार एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम और एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन का आठ सप्ताह की अवधि का एक एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम

अथवा

3) एनपीटीईएल-अभातशिप द्वारा ई-प्रमाणन के साथ ऐसे आठ सप्ताह की अवधि के दो एमओओसीएस (मूक्स) पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों

और

4) न्यूनतम 3 वर्षों के अनुभव के साथ प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पी.एच.डी. डिग्री, एस.सी.आई. पत्रिकाओं/यूजीसी/अभातशिप/सी.ओ.ए./पी.सी.आई. द्वारा अनुमोदित जर्नल सूची में 2 शोध प्रकाशन, तथा व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) लेवल-12 के कैडर में 10 के पैमाने पर 8 से 10 के बीच औसतन 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

अथवा

न्यूनतम 4 वर्षों के अनुभव के साथ प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पी.एच.डी. डिग्री, एस.सी.आई. पत्रिकाओं/यूजीसी/अभातशिप/सी.ओ.ए./पी.सी.आई. द्वारा अनुमोदित जर्नल सूची में 2 शोध प्रकाशन, तथा व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) लेवल-12 के कैडर में 10 के पैमाने पर 5 से <8 के बीच औसतन 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

अथवा

न्यूनतम 6 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) लेवल-12 के कैडर में 10 के पैमाने पर 8 से 10 के बीच औसत 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

अथवा

न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव और व्याख्याता(चयन ग्रेड-1) के कैडर में 10 के पैमाने पर 5 से <8 के बीच औसत 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

टिप्पणियां : 360° प्रतिपुष्टि

1. प्रोन्नति की अपेक्षाओं के लिए, अगली अवस्था की पात्रता की तिथि तक, प्रति वर्ष प्राप्त प्रतिपुष्टि से सभी पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को जोड़कर उसके औसत को लिया जाएगा।
2. ऐसे मामले में जहाँ उम्मीदवार विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिपुष्टि अंक (स्कोर) प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को विचार के लिए लिया जाएगा जबकि उनमें से किसी, उस एक वर्ष को छोड़ दिया जाएगा जिसमें न्यूनतम प्रतिपुष्टि स्कोर प्राप्त हुआ होगा।

4.6 विभागाध्यक्ष (लेवल-13ए1, प्रवेश वेतन 1,31,400/-) के लिए न्यूनतम अर्हताएं**सीधी भर्ती के लिए**

प्रासंगिक क्षेत्र में पी.एच.डी. तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के स्तर पर पी.एच.डी. के पश्चात् का हो।

अथवा

शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 15 वर्ष के अनुभव के साथ, प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) के स्तर पर हो।

4.7 प्राचार्य के लिए अर्हताएं

(लेवल-13ए1, प्रवेश वेतन-1,31,400/- तथा 4,500/- रू० प्रति माह का विशेष भत्ता)

क) सीधी भर्ती

पी.एच.डी. तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 16 वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव पी.एच.डी. के पश्चात् का हो तथा विभागाध्यक्ष से अन्यून स्तर का 5 वर्ष का अनुभव।

अथवा

शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 20 वर्ष के अनुभव के साथ, प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव विभागाध्यक्ष के स्तर से अन्यून स्तर का हो।

ख) पदधारक की प्रोन्नति के लिए

पी.एच.डी. तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 16 वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव विभागाध्यक्ष के स्तर का हो तथा तीन वर्ष का अनुभव पी.एच.डी. के पश्चात् का हो; पिछले पाँच वर्षों के लिए 10 में से 5 से < 8 का औसत 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

अथवा

प्रासंगिक विषयक्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी; शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम सात वर्ष का अनुभव विभागाध्यक्ष के स्तर का से अन्यून स्तर का हो। पिछले पाँच वर्षों के लिए 10 में से 8 से 10 तक का औसत 360° प्रतिपुष्टि स्कोर।

टिप्पणी :

1. पदधारक संकाय, विभाग अध्यक्ष और प्राचार्य का विद्यमान पदनाम, वेतन और मान को संरक्षित किया जाएगा तथा उन्हें 31.12.2015 को आहरत उनके एजीपी के तदनुसूची लेवल में उपयुक्त सैल में रखा जाएगा।
2. व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) को विभागाध्यक्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के अध्यधीन वरिष्ठता के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम आधार पर विभागाध्यक्ष का प्रभार प्रदान किया जा सकेगा।

5.0 अन्य अकादमिक स्टॉफ की सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं**5.1 सहायक पुस्तकाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं (लेवल-9ए, प्रवेश वेतन 56100/-)**

1. सहायक पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण विज्ञान में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष व्यावसायिक डिग्री न्यूनतम प्रथम श्रेणी के साथ तथा पुस्तकालय के कंप्यूटरीकरण के साथ निरंतर उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड।
2. यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजनार्थ संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हता।

5.2 सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं (लेवल-9ए, प्रवेश वेतन-56100/-)

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शारीरिक शिक्षा में निष्णात डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में निष्णात डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ अथवा इसके समकक्ष डिग्री तथा उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड।
2. अंतरविश्वविद्यालय/अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य और/अथवा राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में विश्वविद्यालय/कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड।
3. कॉलेज/विश्वविद्यालय अध्ययन के दौरान खेलकूद, नाटक, संगीत, फिल्म, चित्रकला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता कार्यक्रम प्रबंध में अथवा अन्य छात्र/कार्यक्रम प्रबंध क्रियाकलापों में पर्याप्त सलिप्तता का रिकार्ड तथा प्रतिभागिता का उत्कृष्ट ट्रैक रिकार्ड।
4. छात्र संयोजक के रूप में अथवा जीवन के पश्चातवर्ती भाग में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का रिकार्ड।

5.3 सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) और सहायक पुस्तकाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिए (लेवल-10, प्रवेश वेतन-57,700/-)

प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ निष्णात डिग्री तथा यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/सैट (एसईटी) उत्तीर्ण की हो।

5.4 लेवल 9ए से लेवल 10 में पदधारक सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) और सहायक पुस्तकाध्यक्ष की प्रोन्नति के लिए

- (i) सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को लेवल-10 में उपयुक्त सैल में तब रखा जाएगा जैसे ही उम्मीदवार यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो।
- (ii) यदि उम्मीदवारों ने यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/सैट (एसईटी) उत्तीर्ण नहीं की है, तो उन्हें 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही लेवल 10 के उपयुक्त सैल में रखा जाएगा।

5.5 सहायक पुस्तकाध्यक्ष और सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के लिए प्रोन्नति की क्रियाविधि

सहायक पुस्तकाध्यक्ष और सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के लिए प्रोन्नति हेतु अर्हताएं यूजीसी की अधिसूचना सं० एफ. 1-2/2017(ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार होंगी।

6.0 अतिरिक्त आवश्यकताएं

6.1 शोध प्रकाशन

प्रोन्नति के लिए प्रकाशनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित के माध्यम से न्यूनतम मानक सुनिश्चित किया जाएगा :

- क) प्रोन्नतियों के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों ने एसीआई जर्नलों अथवा यूजीसी अनुमोदित जर्नलों अथवा अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची अथवा संबंधित परिषदों/संस्थानों जैसे वास्तुकला परिषद्/भारतीय भेषजी परिषद्/नगर आयोजनाकार संस्थान, भारत के साथ अभातशिप द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित जर्नलों में शोध पत्र प्रकाशित किए हो।
- ख) एचएमसीटी के मामले में, अनुसंधान/परामर्श के रूप में 1 जीवंत मामला अध्ययन अथवा 1 जीवंत उद्योग परियोजना जिसमें अत्यंत उच्च कोटि के प्रत्यायक को 1 प्रकाशन के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाएगी।
- ग) डिजाइन, वास्तुकला और नगर आयोजना के मामले में, 1 जीवंत मामला अध्ययन, शोध/परामर्श के रूप में 1 जीवंत उद्योग परियोजना अथवा अत्यंत उच्च कोटि के प्रत्यायक रखने वाले/उच्च स्तरीय मान्यताप्राप्त करने वाले 1 अपवादस्वरूप डिजाइन को 1 प्रकाशन के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाएगी।

6.2 पीएच.डी के लिए समकक्षता/बी.ई./बी.टैक के पश्चात् सीधे पी.एच.डी करने हेतु पात्रता

6.2.1 पीएच.डी के लिए समकक्षता

पीएच.डी. के लिए समकक्षता 5 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभाव सूचकांक 2.0 से अन्यून हो, जिसमें पदधारक मुख्य लेखक है तथा सभी 5 प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। विकल्पतः व्यक्ति ने कम-से-कम दो पेटेंट प्राप्त किए होने चाहिए अथवा कार्य स्थल में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए योगदान किया होना चाहिए जिसे राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई हो अथवा वह राष्ट्रीय अकादमियों में से किसी के फेलो के रूप में निर्वाचित हो। तथापि, समकक्षता प्रदान करने की प्रक्रिया संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी।

6.2.2 बी.ई./बी.टैक के पश्चात् सीधे पी.एच.डी करने हेतु पात्रता

पदों के विभिन्न स्तरों के लिए बी.ई./बी.टैक के पश्चात् सीधे प्राप्त की गई पी.एच.डी. की अर्हता तकनीकी संस्थाओं में लागू होगी, बशर्ते कि प्रासंगिक शाखा में प्राप्त की गई पी.एच.डी. की डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट, पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित राष्ट्रीय महत्व को संस्थान (जैसे कि - आईआईटी/आईआईएससी/एनआईटी इत्यादि) द्वारा प्रदान की गई हो। आगे यह भी की, उम्मीदवार ने इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक स्तर पर कम से कम प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो।

6.3 वर्ग/श्रेणी

यदि कोई वर्ग/श्रेणी प्रदान नहीं की गई है, सफल अंकों के अधिकतम 60 प्रतिशत अंकों पर प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड अंक प्रणाली अपनाई गई है, तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा :

ग्रेड अंक	समकक्ष प्रतिशतता
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

6.4 प्रासंगिक डिग्रियों की नामावली

विभिन्न संकाय पदों के लिए अर्हताएं निर्दिष्ट करती हैं कि डिग्री की विशेषज्ञता उपयुक्त/प्रासंगिक शाखा में होगी। अनेक आईआईटी, एनआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय नई नामावलियों के अंतर्विषयक कार्यक्रम प्रारंभ करे हैं। इंजीनियरी की अंतर्विषयक प्रकृति के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, स्नातकपूर्ण और स्नातकोत्तर, दोनों ही विशेषज्ञताओं के अंतर्विषयक पाठ्यक्रमों पर विचार किया जा सकेगा। चयन समिति अध्ययन के कार्यक्रम तथा संस्था की आवश्यकता के आधार पर इस संबंध में अंतिम निर्णय ले सकेगी। अभातशिप ने इस मुद्दे को भारत सरकार के राजपत्र एफ. सं० 27/आरआईएफडी/वेतन/01/2017-18 दिनांक 28.04.2017 द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यदि अभातशिप परिधि में कोई विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, तो बोर्ड/विश्वविद्यालय समकक्षता पर निर्णय लेगा। अतः उनकी अर्जित अर्हता/विशेषज्ञता के आधार पर पूर्व में नियुक्त पदधारक संकाय सदस्य अथवा अन्य संस्थाओं में प्रोन्नति के लिए और साथ ही सीधी भर्ती के लिए अर्हक बने रहना जारी रहेंगे, बशर्त कि वे विभिन्न शिक्षण पदों के लिए यथा विनिर्दिष्ट अन्य पात्रता मानदण्डों और उच्च अर्हताओं, यदि कोई हैं, की पूर्ति करते हों।

6.5 पूर्व अर्हताओं के साथ पदधारक संकाय सदस्य

विद्यमान पदधारक जिन्हें मूलभूत न्यूनतम अर्हताओं जैसे एम.एससी.(गणित), एम.एससी.(जैव-प्रौद्योगिकी), एम.एससी.(इलेक्ट्रॉनिक्स), एम.एस.सी.(कम्प्यूटर विज्ञान एवं संबद्ध विषय), एम.एससी.(भौतिकी), एम.एससी.(रसायन विज्ञान), एम.सी.ए., पीजीडीएम, एएमआईई/एम.कॉम और किसी अन्य समान अर्हता के साथ भर्ती किया गया था, जिसे नियुक्ति के समय अर्हक माना गया था अथवा अभातशिप राजपत्र दिनांक 05 मार्च, 2010 के प्रकाशन से पूर्व प्रवेश लिया था, को उसी अथवा अन्य संस्थाओं में प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती के लिए अर्हक माना जाएगा बशर्त कि वे विभिन्न शिक्षण पदों के लिए अन्य मानदण्डों और उच्च अर्हताओं, यदि कोई हैं, की पूर्ति करते हैं।

6.6 प्रतिनियुक्ति पर संकाय सदस्य

किसी संकाय सदस्य, जो किसी सरकारी संगठन/स्वायत्तशासी निकाय जैसे डीटीई/ अभातशिप/यूजीसी/मा.सं.वि.म./डीएसटी/विश्वविद्यालय आदि में शैक्षणिक/प्रशासनिक पद पर प्रतिनियुक्ति पर है, को शैक्षणिक और अकादमिक/प्रशासन का अनुभव प्राप्त माना जाएगा तथा एफडीपी, औद्योगिक प्रशिक्षण और 360 डिग्री प्रतिपुष्टि की अपेक्षा से छूट दी जाएगी। यदि किसी संकाय सदस्य ने कम-से-कम 'बहुत अच्छा' कोटि प्राप्त की है, तो उसे प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए इस अधिसूचना के संदर्भ में 360 डिग्री प्रतिपुष्टि के 10 अंकों के पैमाने पर 8 अंकों के समकक्ष माना जाएगा।

अस्वीकरण**अधिसूचना की भाषा**

अधिसूचना अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। यद्यपि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है। तथापि व्याख्या में किसी प्रकार की विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

अनुबंध-I**डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका**

वेतन मैट्रिक्स					
(सभी आंकड़े रूपयों (₹) में है)					
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (VI सीपीसी) में वेतन बैंड	15600-39100				37400-67000
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (VII सीपीसी) में कैंडर शीर्षक	व्याख्याता	व्याख्याता	व्याख्याता (वरिष्ठ मान)	व्याख्याता (चयन ग्रेड-I)	व्याख्याता (चयन ग्रेड-II)/ विभागाध्यक्ष / प्राचार्य
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (VI सीपीसी) में शैक्षणिक ग्रेड वेतन	5400	6000	7000	8000	9000
प्रवेश वेतन	21000	21600	25790	29900	49200

सैल संख्या \ स्तर	९	10	11	12	13ए1
1	56100	57700	68900	79800	131400
2	57800	59400	71000	82200	135300
3	59500	61200	73100	84700	139400
4	61300	63000	75300	87200	143600
5	63100	64900	77600	89800	147900
6	65000	66800	79900	92500	152300
7	67000	68800	82300	95300	156900
8	69000	70900	84800	98200	161600
9	71100	73000	87300	101100	166400
10	73200	75200	89900	104100	171400
11	75400	77500	92600	107200	176500
12	77700	79800	95400	110400	181800
13	80000	82200	98300	113700	187300
14	82400	84700	101200	117100	192900
15	84900	87200	104200	120600	198700
16	87400	89800	107300	124200	204700
17	90000	92500	110500	127900	
18	92700	95300	113800	131700	
19	95500	98200	117200		
20	101100	120700	139800		
21	104100	124300	144000		
22	107200	128000	148300		
23	110400	131800	152700		
24	113700	135800	157300		
25	117100	139900	162000		
26	120600	144100	166900		
27	124200	148400	171900		
28	127900	152900	177100		
29	131700	157500	182400		
30	135700	162200	187900		
31	139800	167100	193500		
32	144000	172100	199300		

33	148300	177300	205300		
34	152700	182600	211500		
35	157300	188100			
36	162000	193700			
37	166900	199500			
38	171900	205500			
39	177100				
40	182400				

नोट : किसी भी कॉलम के अंतिम बिन्दु उस लेवल पर प्राप्त किए गए वेतन के अंतिम बिन्दुओं को व्यक्त नहीं करते हैं। जैसाकि पारंपरिक वेतनमान के पूर्व के प्रावधानों में था कि अंतिम बिन्दु परिकलन के उद्देश्य से उस लेवल के अधिकतम वेतन को नहीं दर्शाता है। किसी भी स्तर के औसत वेतन की गणना के लिए कॉलम के अंतिम बिन्दुओं को वेतनमान के अधिकतम एवं न्यूनतम वेतन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

अनुबंध-II

छानबीन, सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए समिति का गठन

अभातशिप ने निम्नलिखित के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश तैयार किए हैं :

- व्याख्याता (लेवल 10), व्याख्याता (वरिष्ठ मान), व्याख्याता (चयन ग्रेड-I) प्रोन्नतियों के लिए छानबीन समिति का गठन।
- व्याख्याता (चयन ग्रेड-II) तथा प्राचार्य की प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति समिति का गठन।
- व्याख्याता (लेवल 9ए), विभागाध्यक्ष (लेवल 13ए1) तथा प्राचार्य की सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन।

चयन कार्यवाहियां :

छानबीन समिति/चयन समिति की समस्त प्रक्रियाएं छानबीन समिति/चयन समिति की बैठक के तत्काल उपरांत ही पूर्ण की जाएंगी, जिसमें प्राप्तांक प्रोफार्मा और मैरिट के आधार पर की गई सिफारिश, योग्यता के क्रम में चयनित प्रोन्नत उम्मीदवारों की सूची के साथ कार्यवृत्त अभिलेखित किए जाएंगे जिस पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

I सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु समिति का गठन :

निजी महाविद्यालय सहित व्याख्याता तथा विभागाध्यक्ष के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :

- निदेशक, तकनीकी शिक्षा चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
- महाविद्यालय के प्राचार्य।
- संबंधित राज्य के तकनीकी शिक्षा सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जिनमें से संबंधित विषय में दो विशेषज्ञ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/दिव्यांग जन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद् यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है, निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट।

II छानबीन समिति का गठन :

सभी लेवलों पर व्याख्याताओं की प्रोन्नति के लिए छानबीन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :

- महाविद्यालय का प्राचार्य छानबीन समिति का अध्यक्ष होगा।
- निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग का नामिति।
- सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय-विशेषज्ञ।
- संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष।

III पॉलिटेक्निक के प्राचार्य के चयन हेतु समिति का गठन :

पॉलिटेक्निक के प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :

- सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे।

- ii) महाविद्यालय के शासी निकाय के दो सदस्य जिनका नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक अकादमिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा।
- iii) तकनीकी शिक्षा मंत्री का एक नामिति।
- iv) तकनीकी शिक्षा में प्रोफेसर से अन्यून स्तर के दो शिक्षाविद्।

टिप्पणियाँ :

1. ऐसे राज्य जहां लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है, वहां भर्ती समिति की सरंचना निर्धारित करने के लिए अभातशिप के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
2. छानबीन समिति की रिपोर्ट संबंधित तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
3. प्रोन्नति के प्रस्तावों की जांच के लिए मानदंड संबंधित निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा तैयार किए जाएंगे। तथापि, छानबीन/प्रोन्नति के लिए इस राजपत्र के माध्यम से 360° प्रतिपुष्टि, औद्योगिक प्रशिक्षण, एफ.डी.पी. इत्यादि जैसी शर्तों का अभातशिप द्वारा यथानिर्धारित अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

अनुबंध-III**360° प्रतिपुष्टि अंक का परिकलन**

360° स्कोर का निर्धारण निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा :

- क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)
- ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)
- ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)
- घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)
- ङ. ए.सी.आर. (अंक 10)
- च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)

उम्मीदवार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विचार की जाने वाली परिकलन शीट और एक सारांश शीट प्रस्तुत करेगा जिसमें 10 अंक के पैमाने पर उसके अंकों का दर्शाया गया होगा

क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)

परिकलन को एक तालिका में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा इस अनुबंध में दर्शाया गया है। तालिका में विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों के विवरण होंगे जैसे सेमेस्टर, पाठ्यक्रम कोड/नाम, अधिसूचित कक्षाओं की संख्या, वास्तव में लगाई गई कक्षाएं। योग को 25 अंक पैमाने पर कम किया जाएगा।

ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

उम्मीदवार विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान पढ़ाए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 के पैमाने पर औसत अंक प्रस्तुत करेगा। सभी ऐसे अंकों के कुल औसत का प्रयोग किया जाएगा।

ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)

यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से किसी शिक्षक को निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायित्व शामिल हैं, जैसे प्रयोगशाला प्रभारी, टाईम टेबल प्रभारी, एनबीए-अभातशिप कार्य, प्रायोजित परियोजनाएं, विभागीय न्यूजलेटर आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 अंकों तक 3 अंक अर्जित रहेगा।

घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)

यह खंड विचाराधीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा एक समुचित कार्यालय आदेश के माध्यम से किसी उम्मीदवार को निर्दिष्ट किए गए समस्त उत्तरदायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न उत्तरदायित्व शामिल हैं जैसे विभागाध्यक्ष, समन्वयक, वार्डन, प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी, संपदा अधिकारी आदि। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 10 अंकों तक 5 अंक अर्जित रहेगा।

ङ. ए.सी.आर. (अधिकतम अंक 10)

संस्थान स्तर पर अनुरक्षित ए.सी.आर. में ग्रेडिंग के आधार पर 10 अंक होंगे।

च. समाज को योगदान (अधिकतम अंक 10)

उम्मीदवार अभातशिप द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों में शामिल है। उम्मीदवार प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रति सेमेस्टर 5 अंक अर्जित करेगा। दावे को संस्थान के प्रमुख से कार्यालय/आदेश/अधिकारिक पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

सभी शैक्षणिक वर्षों के लिए सकल योग को 10 अंक के पैमाने पर पैमाने के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त मानदण्डों में उल्लेखित क्रियाकलाप सांकेतिक हैं। प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय क्रियाकलापों को विभागीय और संस्थान स्तर पर कतिपय क्रियाकलापों को जोड़/घटा सकेगा।
2. निम्नलिखित अधिमानों के अनुसार संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर के लिए 10 अंकों का अधिमान दिया जा सकेगा।

क्रेडिट अंकों का परिकलन

(प्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ-1)

नाम	
वर्तमान पद	
शैक्षणिक वर्ष	
शिक्षण प्रक्रिया	

क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)

क्रम संख्या	सत्र	पाठ्यक्रम कोड/नाम	निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या	वास्तव में आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या	अर्जित अंक	संलग्नक संख्या
1	1/ 2018-19	सीईटी-100	42	39		
2	1/ 2018-19	सीईटी-200	39	38		
3	2/ 2018-19	एमईडी-100	41	39		
4	2/ 2018-19	बीएसई-100	42	41		
		कुल	164	157	23.93	

ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

क्रम संख्या	सत्र	पाठ्यक्रम कोड/नाम	स्केल 25 पर विद्यार्थियों की औसत प्रतिपुष्टि	संलग्नक संख्या
	1/ 2018-19	सीईटी -100	22.3	
	1/ 2018-19	सीईटी -200	21.8	
	2/ 2018-19	एमईडी -100	19.6	
	2/ 2018-19	बीएसई -100	22.8	
		कुल	86.5	

ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रेडिट 20)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	1/ 2018-19	प्रयोगशाला प्रभारी	3	3 अंक/सत्र	
2	1/ 2018-19	परामर्श	3	3 अंक/सत्र	
3	1/ 2018-19	टाईम टेबल प्रभारी	3	3 अंक/सत्र	
4	2/ 2018-19	टाईम टेबल प्रभारी	3	3 अंक/सत्र	

5	2/ 2018-19	एनबीए कार्य	3	3 अंक/कार्यक्रम	
6	2/ 2018-19	प्रयोगशाला प्रभारी	3	3 अंक/कार्यक्रम	
7	2/ 2018-19	परामर्श	3	3 अंक/सत्र	
		कुल	21		

क्रेडिट अंकों का परिकलन

(प्रतिदर्श (सैम्पल) परिकलन पृष्ठ-2)

घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम क्रेडिट 10)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	1/ 2018-19	विभागाध्यक्ष	4	4 अंक/सत्र	
2	2/ 2018-19	संस्थान के प्रमुख द्वारा नियुक्त समन्वयक	2	2 अंक/सत्र	
3	2/ 2018-19	आयोजित सम्मेलन	2	2 अंक/कार्यक्रम	
4	2/ 2018-19	एफडीपी/ सम्मेलन	2	1 अंक/कार्यक्रम, सभी सह-समन्वयकों के बीच विभाजित किए जाएं	

ङ. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रेडिट 10)

असाधारण	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक
10	9	8	7	5

क्रम संख्या	वर्ष	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1	2018-19	एसीआर	10	असाधारण	
2		एसीआर	8	बहुत अच्छा	
3		एसीआर	9	उत्कृष्ट	
4		एसीआर	10	असाधारण	
औसत			37/4 = 9.25		

च. समाज के लिए योगदान (अधिकतम क्रेडिट 10)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1		अधिष्ठापन कार्यक्रम	5		
2		उन्नत भारत अभियान	5		
3		योग कक्षाएं	5		
4		रक्त दान	5		

क्रेडिट अंकों का परिकलन

(खाली प्रपत्र)

नाम	
वर्तमान पद	
शैक्षणिक वर्ष	
शिक्षण प्रक्रिया	

क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)

क्रम संख्या	सत्र	पाठ्यक्रम कोड/नाम	निर्धारित की गई कक्षाओं की संख्या	वास्तव में आयोजित की गई कक्षाओं की संख्या	अंक	संलग्नक संख्या
1						
2						

ख. विद्यार्थी प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)

क्रम संख्या	सत्र	पाठ्यक्रम कोड/नाम	स्केल 25 पर विद्यार्थियों की औसत प्रतिपुष्टि	संलग्नक संख्या
1				
2				

ग. विभागीय कार्यकलाप (अधिकतम क्रेडिट 20)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम क्रेडिट 10)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

ङ. संस्थान स्तर पर अनुरक्षित एसीआर (अधिकतम क्रेडिट 10)

क्रम संख्या	वर्ष	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

च. समाज के लिए योगदान (अधिकतम अंक 10)

क्रम संख्या	सत्र	कार्यकलाप	क्रेडिट अंक	मानदण्ड	संलग्नक संख्या
1					
2					

सारांश

सारांश	शैक्षणिक वर्ष 1	शैक्षणिक वर्ष 2	शैक्षणिक वर्ष 3
क. शिक्षण प्रक्रिया (अधिकतम अंक 25)			
ख. छात्र प्रतिपुष्टि (अधिकतम अंक 25)			
ग. विभागीय क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 20)			
घ. संस्थान क्रियाकलाप (अधिकतम अंक 10)			
ङ. ए.सी.आर (अधिकतम अंक 10)			
च. समाज के लिए योगदान (अधिकतम अंक 10)			
कुल (अधिकतम अंक 100)			
10 पॉइंट स्केल में कुल			

छात्र प्रतिपुष्टि प्रपत्र

(संस्था के उपयोग के लिए)

शैक्षणिक वर्ष :		संकाय का नाम	
पाठ्यक्रम		सत्र	
		प्रतिपुष्टि की तिथि	

विद्यार्थी द्वारा भरे जाने के लिए

क्रम संख्या	वर्णन	बहुत खराब (1)	खराब (2)	अच्छा (3)	बहुत अच्छा (4)	उत्कृष्ट (5)
1	क्या शिक्षक ने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समग्र विषयवस्तु को पूरा किया है ?					
2	क्या शिक्षक ने विषयवस्तु के अतिरिक्त प्रासंगिक शीर्षकों को भी शामिल किया है					
3	निम्न के संदर्भ में शिक्षक की प्रभावशीलता : (क) तकनीकी अन्तर्वस्तु/पाठ्यक्रम अन्तर्वस्तु (ख) सम्प्रेषण कौशल (ग) शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग					
4	जिस गति से अन्तर्वस्तु पूरी की जाती है					
5	विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा					
6	विद्यार्थियों के कौशलों को विकसित करने के लिए सहायता (i) प्रायोगिक प्रदर्शन (ii) मौके पर प्रदर्शन					
7	विद्यार्थियों की अपेक्षाओं की स्पष्टता					
8	विद्यार्थियों की प्रगति पर उपलब्ध करवाई गई प्रतिपुष्टि					
9	विद्यार्थियों को सहायता एवं परामर्श देने की तत्परता					
	कुल					

प्रो. एम. पी. पूनियां, उपाध्यक्ष, अभातशिप

[विज्ञापन-III/4/असा./560/18]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2019

AICTE REGULATIONS ON PAY SCALES, SERVICE CONDITIONS AND MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF SUCH AS LIBRARY AND PHYSICAL EDUCATION PERSONNEL IN TECHNICAL INSTITUTIONS AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN TECHNICAL EDUCATION – (DIPLOMA) REGULATION, 2019.

F. No. 61-1/RIFD/7th CPC/2016-17.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10(g), (h) and (i) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and after approval of the Government of India vide No. 1 - 37/2016 – TS. II, Dated 23rd January, 2019 and letter of even no. dated 12th February 2019, the All India Council for Technical Education makes the following regulation; namely:—

1.0 Short Title, Application and Commencement**1.1 Short Title**

These Regulations shall be called the All India Council for Technical Education Pay Scales, Service Conditions and Minimum Qualifications for the Appointment of Teachers and other Academic Staff such as Library and Physical Education Personnel in Technical Institutions and Measures for the Maintenance of Standards in Technical Education – (Diploma) Regulation, 2019.

1.2 Categories of Institutions to whom the regulations apply

These regulations shall apply to all diploma level technical institutions imparting technical education and such other courses / programs approved by AICTE and areas as notified by the council from time to time.

1.3 Date of Effect

- a) **Pay Scales and DA:** The revised pay-scales shall be effective from 01-01-2016
- b) **Other Allowances:** Allowances such as Leave Travel Concession, Special Compensatory Allowances, Children's Education Allowance, Transport Allowance, House Rent Allowance, Deputation Allowance, House Building Allowance, Travelling Allowance etc. shall be applicable from the date as notified by the Central Government / respective State and UT Government from time to time.

1.4 Effective date of application of Service Conditions

- a) All other service conditions including Qualifications, Experience, Recruitment, Promotions etc. shall come into force with effect from the date of this Gazette Notification.
- b) The Qualifications, Experience, Recruitment and Promotions etc. during 01-01-2016 till the issue of this Gazette Notification shall be governed by All India Council for Technical Education Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Diploma) Regulation, 2010 dated 5th March 2010 and subsequent notifications issued from time to time.
- c) Those who are eligible for promotions after the date of publication of this gazette, shall have to meet the necessary conditions such as additional qualification, undergoing industrial training, pedagogical training, faculty induction program, publishing research papers etc. However, these requirements shall be permitted to be fulfilled till 31st July, 2022 so as to enable faculty members in equipping them for requisite mandatory requirements of this gazette to avail the benefit of promotion retrospectively from the date of eligibility.
- d) It may be noted that no further extension would be given beyond 31st July, 2022 and those who do not meet the essential criteria despite the above grace period, shall lose an opportunity for getting promotion retrospectively. However, they will be eligible for promotion from the date they meet these criteria thereafter.

- e) In cases, wherein interviews are already conducted either for direct recruitment or for promotions but candidates did not join, such candidates may be allowed to join. Their further up-gradation will be governed by this notification.
- f) In cases, where advertisement was published, applications invited but interviews have not been conducted till publication of this notification, the institutes / employers are required to publish corrigendum and processing of applications must be done in accordance with the provisions given in this notification.

2.0 General

2.1 Revised Designations and Mode of Appointments

There shall be only three designations in respect of teachers in the diploma level institutes/polytechnics namely **Lecturer**, **Head of the Department** and **Principal** as given below in **Table 1**. Also there shall be no change in the present designations in respect of **Library** and **Physical Education** personnel at various levels.

Following mode of appointment shall henceforth be used

Table 1: Cadre Structure and Mode of Appointment

Sr. No.	Designations of Teaching Faculty	Entry Pay (Rs.)	Level	Mode of Appointment
1	Lecturer	56,100	9A	Direct Recruitment
2	Lecturer	57,700	10	Promotion / Direct Recruitment
3	Lecturer (Senior Scale)	68,900	11	Promotion
4	Lecturer (Selection Grade -I)	79,800	12	Promotion
5	Lecturer (Selection Grade -II)	131,400	13A1	Promotion
6	Head of the Department (HoD)	131,400	13A1	Direct Recruitment
7	Principal	131,400	13A1	Promotion / Direct Recruitment

2.2 New Pay Structure

The new pay structure shall involve a pay matrix with an ascending series of levels and ascending cells in each level. The new pay matrix shall subsume the pay band and grade pay in one simple chart as given in **Annexure - I**. The pay matrix shall comprise of two dimensions – a horizontal range of levels starting from the lowest level in the hierarchy and ascending to the highest level, with the levels being numbered from 9A to 13A1 covering the entire gamut of Teachers and other Academic Staff. Within each level, the salary increases as one goes down vertically, with each progression of going down represented by a “Cell”. Each Cell within that level represents the steps of annual financial progression of 3%. On recruitment / promotion, an employee shall join at a particular level and progress within the level as per the vertical range. The movement shall be based on annual increments till the time of his /her next promotion. When the employee will receive a promotion, he/she will progress to the next level in the horizontal range till it exhausts.

2.3 Levels and Cells

The method followed by the 7th CPC shall be adopted in the academic pay structure also, moving from the concept of Pay Band and Academic Grade Pay to that of Levels and Cells. The changes will appear only due to the existing difference between the two streams in terms of Academic Grade Pay vis-à-vis the corresponding Grade Pay. The levels for academic pay shall be numbered as per the corresponding non-academic level. Thus, the levels are numbered as 9A, 10, 11, 12 and 13A1 corresponding to the present AGP of Rs. 5400, 6000, 7000, 8000 and 9000 respectively.

2.4 Pay Matrix and Fixation of Revised Pay

For Fixation of pay of an Employee in the Pay Matrix as on 1st January 2016, the existing pay (Pay in Pay Band plus Academic Grade Pay) in the pre-revised structure as on 31st December, 2015 shall be multiplied by a **factor of 2.57**, rounded off to the nearest Rupee and the figure so arrived at will be located in that level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix. If the figure arrived at in this manner is less than the first Cell in that Level, then the pay shall be fixed at the first Cell of that Level of Pay Matrix (See **Annexure-I**).

2.5 Date of Increment

- (i) Annual increment is given in the Pay Matrix at 3%, with each cell being higher by 3% over the previous cell in the same level, rounded off to nearest 100. Annual increments to each employee would move up in the same academic level, with an employee moving from the existing cell in the academic level to the immediate next cell in the same academic level.
- (ii) There shall be two dates of increment i.e. 1st January and 1st July of every year, provided that an employee shall be entitled to only one annual increment on either one of these two dates depending on the date of appointment, promotion or grant of financial upgradation.
- (iii) The increment in respect of an employee appointed or promoted during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

2.6 Annual Process of Promotion

Every College / DTE shall ensure that the selection process for direct recruitment for various positions is carried out annually so as to maintain required faculty numbers and cadre ratio as per AICTE norms so that no loss is caused to students. Process for the Screening / promotions of the faculty members shall be carried out at a regular span annually to avoid any stagnation in career growth of faculty members.

Candidates who do not fulfill the minimum requirement proposed in the Regulation, will have to be re-assessed after a period of one year. The date of promotion shall be the date on which he / she satisfies all the minimum requirements and successfully reassessed.

The constitution of the Screening Committee/Promotion committee/Selection Committee as applicable at different stages are enumerated in **Annexure-II**. Various stages of screening/promotion / direct recruitment are given in the **Table 2**.

Table 2: Stages of Screening/Promotion/Direct Recruitment and Mode of Selection

Stage	Designation	Mode of Selection
Entry Level, Stage-I	Lecturer	Direct recruitment
Stage-II	Lecturer (Senior Scale)	Promotion by Screening
Stage-III	Lecturer (Selection Grade -I)	Promotion by Screening
Stage-IV	Lecturer (Selection Grade -II)	Promotion by Selection Committee
Stage-V	Head of the Department (HoD)	Direct recruitment
Stage-VI	Principal	Direct recruitment / Promotion

A teacher who wishes to be considered for promotion may submit in writing in the prescribed proforma as evolved by the concerned College / DTE duly supported by all credentials to the HoD / Principal of the College, within three months in advance of the due date, that he / she fulfils all requisite qualifications.

2.7 Research Promotion Grant

The thrust has to be given for improving quality by augmenting the research and development in the institutions. Therefore, all technical institutions should provide financial assistance for strengthening research activities.

2.8 Financial Support for implementation of 7th CPC Scale.

The entire liability on account of revision of pay scales etc. of Polytechnic teachers shall be that of the State Government.

2.9 Age of Superannuation

The age of superannuation of all faculty members and Principals of institutions shall be 65 years. An extension of 5 years (till the attainment of 70 years of age) may be given to those faculty members who are physically fit, have written technical books and has average 360° feedback of more than 8 out of 10 indicating them being active during last 3 preceding years of service.

2.10 Health Insurance Scheme

Wherever full health coverage for self and family is not provided for by the government, individual institutions shall implement Contributory Group Health Insurance Schemes for faculty members and other academic staff to extend social security to them and to help attract and retain them for longer association with respective institutions. The Group Health Insurance option may also be extended to the retired faculty members.

2.11 Pension, Gratuity, Family Pension, GPF, Leave Encashment and Other Pensionary Benefits

All pensionary benefits including leave encashment shall be extended to faculty members and other academic staff as per the revised norms recommended by the 7th CPC and implemented by the State Governments.

2.12 Industrial Training

Since a requirement of industrial training has been stipulated for vertical movement of faculty members, the AICTE, State Governments / DTEs, in consultation with the Confederation of Indian Industries (CII), FICCI, NASSCOM and other such industry bodies, devise a suitable mechanism for facilitating all faculty members to undergo industrial training.

2.13 Teaching Engagement

The faculty members working in technical institutions under the purview of AICTE shall have a teaching engagement of not less than 40 hours per week including teaching contact hours and other activities. The work of tutorial / project/ research/ administration may be distributed among the faculty members as per the need and availability of staff.

The laboratory engagement will also be counted towards teaching hours. The minimum teaching contact hours for various positions shall be as given in **Table 3**.

Table 3: Teaching Engagement of Faculty Members in Diploma Level Institutions

Designation	(Teaching / Laboratory Hours)/ Week
Lecturers	18
HoD	16
Principal	6

2.14 Incentives for New Entrants

New entrants as well as existing faculty members shall be provided with a desktop computer/ laptop/ office furniture and a printer with internet connectivity in their office to make faculty members computer savvy and to enable them to have access to the latest technology.

2.15 Grants for Professional Development

All faculty members may be given a grant up to Rs. 25,000/- per year on reimbursement basis, which may be permitted to be accumulated up to 3 years towards acquiring the membership of Professional Societies and for participating in National /International conferences/workshops etc.

2.16 Consultancy

- (i) Consultancy work may be undertaken by members of the faculty to generate resources either for the institutions or for themselves.
- (ii) Not only the faculty members should be encouraged to undertake consultancy work, but also an appropriate conducive environment be created by the state governments / managements of institutions to facilitate faculty members to undertake such work.
- (iii) Suitable parameters for sharing the generated resources between the institution and individual faculty member may be evolved and adopted by the institutions where consultancy work is undertaken by faculty members.
- (iv) The faculty members engaged in consultancy/ industry interaction / research / start-up activities / community services may be allowed some adjustment in teaching time table without compromising their teaching contact hours.

2.17 Sabbatical Leave for Faculty

To encourage interface between technical education and industry, the faculty members in Technical Institutions shall be given sabbatical leave of six months for working in industry / professional development, subject to the condition that the faculty has a teaching experience of minimum five years. Such leave, however, shall be available to a teacher only twice in his /her teaching career.

2.18 Start-up

Presently, the institutions are ranked based on academic performance and placement of students. In future it may be also based on number of start-ups and entrepreneurs created by the institute. Therefore, technology incubation centres shall be established and frequent interactions between entrepreneurs / industrialists / alumni and students shall be arranged to motivate students to initiate start-up.

2.19 Incentives for Ph. D. / M. Phil. and other Higher Qualification

- (i) Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of a recruitee as a lecturer possessing a degree of Ph.D. awarded in the relevant discipline by a recognized University following the due process of admission test, course work and external evaluation as prescribed by the UGC or the admission process adopted by the institutes established under the Act of Parliament or students having valid GATE / GPAT score for admission to Ph.D. under National Doctoral Fellowship program of AICTE / Prime Minister's Research Fellowship program.
- (ii) Those possessing Master's degree in Engineering/ Technology/ Architecture/ Planning/ Pharmacy/ Design/Town Planning etc. recognized by the relevant statutory body / council, shall be entitled to two non-compounded advance increments at the entry level.
- (iii) Teachers who complete their Ph.D. degree while in service as Lecturer shall be entitled to three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level as Lecturer only if such Ph.D. is in a relevant discipline of the discipline of employment and has been awarded by a recognized University following the due process of admission test, course work and external evaluation as prescribed by the UGC or the admission process adopted by the institutes established under the Act of Parliament or students having valid GATE / GPAT score for admission to Ph.D. or students selected for Ph.D. program under Quality Improvement Program (QIP) / Teacher Research Fellowship (TRF).

2.20 Statutory Reservation

The statutory reservation policy for recruitment and promotion of SC / ST / OBC / EBC / PWD / Women candidates must be adhered to as per the respective state government rules.

2.21 Quality Improvement Programme (QIP) Scheme for Teachers in Technical Institutions

With a view to improve the quality of technical education, all DTEs and Secretaries of Higher Education of all the states are directed to implement QIP scheme for all the eligible teachers working in Government and Government aided institutions. Managements of self-financing institutions are also directed to encourage their faculty members to participate in QIP scheme.

2.22 Counting of Past Services for Direct Recruitment and Promotion

Previous regular service, whether national or international, as Lecturer, Assistant Professor/Associate Professor/HOD/Workshop Superintendent etc. in a University, College, equivalent post in National Laboratories or other scientific / professional organizations such as the CSIR, ICAR, DRDO, UGC, AICTE, ICSSR, ICHR, ICMR, DBT or state PSUs etc., shall be counted for direct recruitment and promotion of a teacher as Lecturer, Head of the Department, Principal or any other nomenclature provided that:

- a) The qualifications for the post held should not be lower than the qualifications prescribed by the AICTE for Lecturer, Head of the department and Principal as the case may be.
- b) The post is/was in an equivalent grade or of the pre-revised scale of pay as the post of Lecturer, Head of the department and Principal.
- c) The candidate for direct recruitment has applied through proper channel only.
- d) The concerned person should possess the same minimum qualifications as prescribed by the AICTE for appointment to the post of Lecturer, Head of the department and Principal, as the case may be.
- e) The post was filled in accordance with the prescribed selection procedure as laid down in the Regulations of the State Government / Central Government / concerned institution, for such appointments.
- f) The previous appointment was not as guest lecturer for any duration or ad-hoc or in a leave vacancy of less than one year duration. Ad-hoc or temporary service can be counted provided that:
 1. The period of service was of more than one year duration;
 2. The incumbent was appointed on the recommendation of duly constituted Selection Committee.
 3. The incumbent was selected to the permanent post in continuation to the ad-hoc or temporary service.
 4. An artificial break in service shall not be used to the prejudice of employee, appointed on permanent basis. The person appointed on permanent basis shall be given the benefit of entire service rendered by him with effect from the date of initial appointment (temporary/contract/ad-hoc) notwithstanding the artificial break / breaks in service.
 5. The incumbent was drawing total gross emoluments not less than the monthly gross salary at initial stage of a regularly appointed Lecturer, Head of the department and Principal, as the case may be; and
 6. At the time of selection, the negotiated terms and conditions clearly mention the period of experience, nature of experience and same has been consented by the employer.
- g) No distinction should be made with reference to the nature of management of the institution where -previous service was rendered (private/local body/Government) for counting past services under this clause.

2.23. Equivalence of Experience of Diploma Level Institutions and Degree Level Institutions

Experience at degree level institutions shall be considered equivalent to experience in the diploma level institutions at appropriate level, as applicable provided, scale of pay, qualifications, experience and research contributions are same for the post under consideration as per the present notification.

2.24 Cadre Structure

The “Cadre Structure” in diploma level institutions imparting technical education is *as* given in **Table 2**. The following guidelines are to be taken care of while promoting faculty members in different cadres.

- Incumbent faculty members shall be upgraded to higher position, after being eligible, through a process of selection to be held annually irrespective of availability of vacancies in that cadre.
- The incumbent so upgraded to a higher cadre shall be re-designated as Lecturer (Senior Scale) / Lecturer (Selection Grade - I) / Lecturer (Selection Grade - II) as the case may be.
- With this cadre structure, all faculty members may become Lecturer (Selection Grade - II).
- The entry post of Lecturer can be treated as vacant once the incumbent moves on higher cadre / post through promotion or through direct recruitment by keeping total sanctioned posts fixed.

2.25 Fixation of Pay

The fixation of pay and designations of incumbents in the revised pay scales shall be as given in **Annexure - I**.

Incumbent faculty members / principals who are in AGP of 10,000/- as per 6th CPC, shall be fixed in the appropriate cell corresponding to Level 14 of pay matrix table recommended by 7th CPC.

2.26 Position of Principals

1. Principal of AICTE approved institution has to be a full time faculty selected in accordance with the due process of selection to be adopted by the concerned State Government / DTE / Public Service Commission / respective Board of Governors / Board of Management etc., by taking into consideration the qualifications and other requirements as laid down by AICTE from time to time.
2. This position shall be of contractual in nature for a term of 5 years and can be extended for one more term depending upon the performance; and after completing the term the incumbent shall join back his/her parent organization in the previous designation from where he / she proceeded.
3. In an institution where several programmes under technical education approved by AICTE are running, the Principal shall be from one of the programmes preferably from a programme with maximum student strength.

3.0 Mandatory Teacher Trainings

1. Every teacher appointed / promoted to any position here onwards with effect from the publication of this gazette shall have to mandatorily undergo 8 online modules of MOOCs in SWAYAM as per the AICTE teacher training policy preferably within first year of service.
2. No newly appointed faculty member shall be completing the probation without getting the certification of completion of these 8 modules. The teacher training policy document may be downloaded from AICTE website.
3. The requirement of completing these modules as envisioned in this gazette is applicable to all the incumbent teachers also while applying for promotion / selection to next higher cadre only once in the career.
4. The requirement of completing these modules, however, shall be permitted to be fulfilled till 31st July, 2022 so as to enable faculty members in equipping them for requisite mandatory requirements of this gazette to avail the benefit of promotion retrospectively from the date of eligibility.

4.0 Minimum Qualifications for Direct Recruitment as Lecturer in Diploma Level Institutions

Direct recruitment on the post of lecturer shall be made at two different levels of pay in diploma level institutions based on the qualifications of the candidate at the time of application. Minimum qualification, experience, research contributions, feedback and requisite training requirements for

different levels for direct recruitment, screening and promotions for the faculty members are as follows.

4.1 For Direct Recruitment of Lecturer (Level – 9A, Entry Pay 56,100/-)

Those possessing a minimum of 4-year Bachelor's degree shall be placed in Level 9A at entry pay of Rs.56,100/-

(a) Engineering / Technology

B. E. / B. Tech. / B. S. in relevant discipline with First Class or equivalent.

(b) Pharmacy

B. Pharm. with First Class or equivalent.

(c) Hotel Management and Catering Technology

A minimum 4-year Bachelor's Degree in HMCT with First Class or equivalent.

(d) Architecture

B.Arch. or a 4-year Degree in an allied field with First Class or equivalent.

(e) Fine Arts

Bachelor's degree in appropriate discipline of Fine Arts (Applied Arts, Painting and Sculpture) or equivalent with First Class or equivalent.

(f) Design

Bachelor's degree in design or a minimum 4-year Diploma in any one of the streams of Design, Fine Arts, Applied Arts and Architecture or Bachelor's degree in Engineering with First Class or equivalent

(g) Sciences and Humanities

Master's degree in appropriate subject with First Class or equivalent at Bachelor's or Master's level.

4.2 For Direct Recruitment of Lecturer (Level – 10, Entry Pay 57,700/-)

(a) For Technical Disciplines

Bachelor's and Master's Degrees in relevant disciplines with First Class in either of the two at the time of selection.

(b) For Sciences and Humanities

A Master's degree with First Class or equivalent in a relevant subject and, must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET / SET.

(c) For Promotion of incumbent Lecturer in Level 9A to Level 10

- (i) Candidates from technical disciplines shall be placed in Level 10 at suitable cell as and when the candidates acquire the Master's degree in relevant technical discipline.
- (ii) Candidates of Sciences and Humanities shall be placed in Level 10 at suitable cell as and when the candidates clear the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET / SET.
- (iii) In case candidates do not acquire relevant Master's degree in the case of technical disciplines and in case of candidates from Sciences and Humanities do not clear National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET / SET, they shall be placed in appropriate cell of level 10 only after completion of 5 years.

4.3 Minimum Qualifications for Lecturer (Senior scale) (Level – 11, Entry Pay 68900/-)

- 1) Qualifications as prescribed for the post of Lecturer.

AND

- 2) Three weeks of industrial training at the level of Lecturer.

AND

- 3) Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) recognised by AICTE/UGC/TEQIP/NITTTR/ Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNTT)/IISc/IIT /University/Govt. and out of which at least one of the FDPs shall be in advanced Pedagogy

OR

- 3) One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE.

OR

- 3) Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.

AND

- 4) Minimum 5 years of experience and an average 360° feedback score between 8 to 10 on the scale of 10 in the cadre of Lecturer.

OR

- 4) Minimum 6 years of experience and an average 360° feedback score between 5 to < 8 on the scale of 10 in the cadre of Lecturer.

4.4 Minimum Qualifications for Lecturer (Selection Grade - I) (Level – 12, Entry Pay 79800/-)

- 1) Qualification as prescribed for the post of Lecturer (Senior Scale) necessarily with a Master's Degree in relevant discipline in First Class or equivalent either at Bachelor's or at Master's level.

AND

- 2) Three weeks of industrial training at the level of Lecturer (Senior Scale)

AND

- 3) Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) recognised by AICTE/UGC/TEQIP/NITTTR/ Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNTT)/IISc/IIT /University/Govt.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE.

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.

AND

- 4) Minimum 5 years of experience with an average 360° feedback score between 8 to 10 on the scale of 10 in the cadre of Lecturer (Senior Scale).

OR

- 4) Minimum 6 years of experience with an average 360° feedback score between 5 to < 8 on the scale of 10 in the cadre of Lecturer (Senior Scale).

4.5 Minimum Qualifications for Lecturer (Selection Grade - II) (Level – 13A1, Entry Pay 131400/-)

- 1) Qualifications as prescribed for the post of Lecturer (Selection Grade - I).

AND

- 2) Three weeks of industrial training at the level of Lecturer (Selection Grade - I)

AND

- 3) Two weeks of Faculty Development Programme (FDP) recognised by AICTE/UGC/TEQIP/NITTTR/Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNMTT)/IISc/IIT /University/Govt.

OR

One week faculty development programme as above and one eight weeks duration MOOCS course with E-Certification by NPTEL-AICTE.

OR

Completed two such eight weeks duration MOOCS courses with E-Certification by NPTEL-AICTE.

AND

- 4) Ph. D. in relevant discipline with minimum 3 years of experience, 2 research publications in SCI journals / UGC / AICTE/ CoA/ PCI approved list of journals and an average 360° feedback score between 8 to 10 on a scale of 10, all in the cadre of Lecturer (Selection Grade - I) Level - 12.

OR

Ph. D. in relevant discipline with minimum 4 years of experience, 2 research publications in SCI Journals / UGC / AICTE. CoA/ PCI approved list of journals and an average 360° feedback score between 5 to < 8 on a scale of 10, all in the cadre of Lecturer (Selection Grade-I) Level - 12.

OR

Minimum 6 years of experience with an average 360° feedback score between 8 to 10 on a scale of 10, all in the cadre of Lecturer (Selection Grade-I) Level - 12.

OR

Minimum 8 years of experience with an average 360° feedback score between 5 to < 8 on a scale of 10, all in the cadre of Lecturer (Selection Grade-I) Level - 12.

Note: 360° Feedback

1. The feedback obtained every year, till the date of eligibility of next stage, shall be taken as an average of all the preceding years added together required for promotions.
2. In case the candidate fails to achieve the minimum specified feedback score, the subsequent year's may be taken into consideration while dropping the lowest feedback score in any one of the year.

4.6 Minimum Qualifications for Head of the Department (Level – 13A1, Entry Pay 131400/-)**For Direct Recruitment**

Ph. D. in relevant field and First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline; minimum of 12 years of experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which at least 2 years shall be post Ph.D. experience minimum at the level of Lecturer (Selection Grade-I).

OR

Bachelor's and Master's Degree in relevant discipline with minimum of 15 years of experience in Teaching / Research / Industry, out of which at least 3 years shall be at the level of Lecturer (Selection Grade - II).

4.7 Qualifications for Principal**(Level – 13A1, Entry Pay 131400/- with the special allowance of Rs. 4500/- per month)****(a) Direct Recruitment**

Ph.D. and First Class at either Bachelor's or Master's level in the relevant discipline with minimum of 16 years of experience in Teaching / Research/ Industry, out of which at least 3 years shall be post Ph.D. experience and 5 years of experience not below the level of HoD.

OR

First Class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline and minimum of 20 years of experience in Teaching / Research/ Industry, out of which 5 years of experience not below the level of HoD.

(b) For promotion of the Incumbent

Ph.D. and First class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline with minimum of 16 years of experience in Teaching / Research/ Industry out of which 5 years shall be at the level of HoD and 3 years shall be post Ph.D. Experience; An average 360° feedback score of 5 to < 8 out of 10 for last 5 years.

OR

First class at Bachelor's or Master's level in the relevant discipline; minimum of 20 years of experience in Teaching / Research/ Industry, out of which 7 years shall be not below the level of HoD. An average 360° feedback score of 8 to 10 out of 10 for last 5 years.

Note:

1. Existing designations pay and scale of incumbent faculty, Head of the Department and Principals shall be protected and may be placed in appropriate cell in the level corresponding to their AGP drawn on 31-12-2015.
2. Lecturer (Selection Grade-II) can be given-charge of HoD on rotation basis as per seniority for three years subject to availability of vacant posts of HoD.

5.0 Minimum Qualifications for Direct Recruitment and Promotion of other Academic Staff**5.1 Minimum Qualifications for direct recruitment of Assistant Librarian (Level – 9A,Entry Pay 56100/-)**

1. Master's Degree in Library Science/Information Science/ Documentation Science or an Equivalent Professional Degree with at least First Class or equivalent and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library.
2. Qualifying in the National Level Test conducted for the purpose by UGC or other equivalent test as approved by the UGC.

5.2 Minimum Qualifications for direct recruitment of Assistant Director (Physical Education - Level – 9A, Entry Pay 56100/-)

1. Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Physical Education Science or equivalent degree with at least First Class or its equivalent with good academic record from a recognized University / Institute.
2. Record of having represented the University / College at the inter-University / Inter-collegiate competitions or the state and / or national championships;
3. Record of strong involvement and proven track record of participation in sports, drama, music, films, painting, photography, journalism event management or other student / event management activities during college / University studies.
4. Record of organizing such events as student's convener or in later part of life.

5.3 For Direct Recruitment of Assistant Director (Physical Education) and Assistant Librarian (Level – 10, Entry Pay 57,700/-)

A Master's degree with First Class or equivalent and have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET / SET.

5.4 For Promotion of incumbent Assistant Director (Physical Education) and Assistant Librarian in Level 9A to Level 10

- (i) Assistant Director (Physical Education) shall be placed in Level 10 at suitable cell as and when the candidates clear the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET / SET.
- (ii) In case candidates do not clear National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET / SET, they shall be placed in appropriate cell of level 10 only after completion of 5 years.

5.5 Methodology of further Promotions for Assistant Director (Physical Education) and Assistant Librarian

The qualifications for promotions for Assistant Director (Physical Education) and Assistant Librarian shall be as per the UGC Notification No. F.1-2/2017(EC/PS) Dated 18th July, 2018.

6.0 Additional Requirements

6.1 Research Publications

In order to ensure quality of publications for promotions, a minimum standard would be ensured through the following.

- a) For the purpose of promotions, candidates must have published research papers in SCI journals OR UGC approved Journals OR AICTE approved list of journals OR jointly approved by AICTE with respective councils / institute such as Council of Architecture / Pharmacy Council of India / Institute of Town Planners, India.
- b) In case of HMCT, 1 live case study or 1 live industry project as research / consultancy having credential of very high standing would be recognized as equivalent to 1 publication.
- c) In case of Design, Architecture and Town Planning, 1 live case study, 1 live industry project as research / consultancy or 1 exceptional design having credential of very high standing / obtained high level recognition would be recognized as equivalent to 1 publication.

6.2 Equivalence for Ph.D. / Eligibility of direct Ph.D. after B.E. / B.Tech

6.2.1 Equivalence for Ph.D

Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization. Alternatively, the person should have obtained at least two patents or contributed to the increased productivity in the place of work recognized at state or national level or elected as a Fellow of any of the national academies. However, the procedure of providing equivalence shall be devised by concerned affiliating university.

6.2.2 Eligibility of direct Ph.D. after B.E./ B.Tech

The qualification of Ph.D acquired for the various level of posts directly after B.E/ B.Tech. is applicable in Technical Institutions, provided degree of Ph. D awarded is in relevant discipline by a recognised University following the process of registration, course work and evaluation etc. as prescribed by UGC or has been awarded by the Institutes of national importance (i.e. IITs/IISc/ NITs etc.), duly recognized by the MHRD. Further, candidate should have obtained at least first class at Bachelor's level in Engineering /Technology.

6.3 Class / Division

If a class / division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class / division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below.

Grade Point	Equivalent Percentage
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

6.4 Nomenclature of relevant degrees

The qualifications for various faculty posts specify that the degree shall be in the appropriate / relevant branch of specialization. Many IITs, NITs, Central Universities start interdisciplinary programs of new nomenclatures. In view of the increasing importance of interdisciplinary nature of engineering, the inter-disciplinary courses for both UG and PG specializations may be considered. The selection committee may take a final decision in this regard depending on the requirement of the program of study and institution. AICTE has already clarified this issue vide Government of India Gazette F. No. 27/RIFD/Pay/01/2017-18 dated 28.04.2017. If any specialization is not available in the AICTE basket, the Board / Director of Technical Education / Public Service Commission / University shall decide the equivalence based on the curriculum of the program. Hence, incumbent faculty recruited in the past based on their qualifications / specializations acquired will continue to be eligible for promotion as well as direct recruitment in the same or other institutions, subject to fulfilment of other eligibility criteria and higher qualifications as prescribed, if any, for various teaching posts.

6.5 Incumbent faculty Members with previous qualifications

Existing incumbents recruited as a Faculty with the basic minimum qualifications such as M.Sc. (Mathematics), M.Sc. (Biotechnology), M.Sc. (Electronics), M.Sc. (Computer Science & allied subjects), M.Sc. (Physics), M.Sc. (Chemistry), MCA, PGDM, AMIE / M. Com and any other similar qualifications which were considered eligible at the time of recruitment or taken admission in such courses before publication of the AICTE Gazette dated 5th March 2010 are to be considered as eligible for promotion as well as direct recruitment in the same or other institutions, subject to fulfilment of other eligibility criteria and higher qualifications as prescribed, if any, for various teaching posts.

6.6 Faculty Members on deputation

Any Faculty Member on deputation to some Government Organization /Autonomous Bodies such as DTE /AICTE / UGC /MHRD /DST / Universities etc .on academic / administrative positions shall be deemed to have experience of academics and academic administration and be exempted from the requirement of FDP, Industrial Training and 360o feedback. If the faculty has secured at least Very Good rating, it shall be considered equivalent to 8 points on a 10 point scale of 360o feedback in reference to this notification for the period of deputation.

Disclaimer: Notification Language

The notification is published in English and Hindi languages. Utmost care is taken to translate notification from English to Hindi. However, in case of any kind of discrepancy in interpretation, English version shall prevail.

Annexure-I
Pay Matrix Table for Diploma Level Technical Institutions

PAY MATRIX						
(All figures are in Rupees (₹))						
Pay Band VI CPC		15600-39100			37400-67000	
Cadre Title VII CPC		Lecturer	Lecturer	Lecturer (Senior scale)	Lecturer (Selection Grade-I)	Lecturer (Selection Grade-II) / HoD / Principal
Academic Grade Pay - VI CPC		5400	6000	7000	8000	9000
Entry Pay		21000	21600	25790	29900	49200
Cell No.	Level	9A	10	11	12	13A1
	1	56100	57700	68900	79800	131400
	2	57800	59400	71000	82200	135300
	3	59500	61200	73100	84700	139400
	4	61300	63000	75300	87200	143600
	5	63100	64900	77600	89800	147900
	6	65000	66800	79900	92500	152300
	7	67000	68800	82300	95300	156900
	8	69000	70900	84800	98200	161600
	9	71100	73000	87300	101100	166400
	10	73200	75200	89900	104100	171400
	11	75400	77500	92600	107200	176500
	12	77700	79800	95400	110400	181800
	13	80000	82200	98300	113700	187300
	14	82400	84700	101200	117100	192900
	15	84900	87200	104200	120600	198700
	16	87400	89800	107300	124200	204700
	17	90000	92500	110500	127900	
	18	92700	95300	113800	131700	
	19	95500	98200	117200		
	20	101100	120700	139800		
	21	104100	124300	144000		
	22	107200	128000	148300		
	23	110400	131800	152700		
	24	113700	135800	157300		
	25	117100	139900	162000		
	26	120600	144100	166900		

27	124200	148400	171900		
28	127900	152900	177100		
29	131700	157500	182400		
30	135700	162200	187900		
31	139800	167100	193500		
32	144000	172100	199300		
33	148300	177300	205300		
34	152700	182600	211500		
35	157300	188100			
36	162000	193700			
37	166900	199500			
38	171900	205500			
39	177100				
40	182400				

Note: The end-points of any column do not signify the end points of the pay received at that level. As was the case in the earlier provision of traditional pay scales, the last point does not represent the maximum pay of that level for calculation purposes. The end-points of the column should not be treated as the maximum and minimum of a pay scale to calculate the average pay for any level.

Annexure-II

Constitution of Committee for Direct Recruitment, Screening and Promotion

The AICTE has evolved following guidelines on:

- (a) Constitution of Screening Committees for promotion to Lecturer (Level 10), Lecturer (Senior Scale), Lecturer (Selection Grade-I).
- (b) Constitution of Promotion Committees for Lecturer (Selection Grade - II) and Principal.
- (c) Constitution of Selection Committees for direct recruitment of Lecturer (Level 9A), Head of Department (Level 13A1) and Principal.

Selection Proceedings:

All the screening / selection procedures shall be completed immediately after the screening / selection committee meeting itself, wherein, minutes are recorded along with the scoring Proforma and recommendation made on the basis of merit with the list of selected / promoted candidates in order of merit, duly signed by all members of the committee.

I. Constitution of Committee for Direct Recruitment and Promotion:

The Selection Committee for the post of Lecturer and Head of Department, including Private Colleges shall have the following composition:

- i) Director, Technical Education to be the Chairperson of the Selection Committee.
- ii) The Principal of the College.
- iii) Three nominees of the Secretary, Technical Education of concerned state out of which two should be a subject-expert.
- iv) An academician representing SC / ST / OBC / Minority / Women / Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by Director, Technical Education.

II. Constitution of Screening Committee:

The Screening Committee for the promotion of Lecturers at all levels shall have the following composition:

- i) The Principal of the College to be the Chairperson of the Screening Committee.
- ii) One Nominee of Director, Technical Education
- iii) Two subject-experts nominated by Secretary, Technical Education.
- iv) Head of the concerned department

III. Constitution of Committee for Selection of Principal:

The Selection Committee for the post of Principal of polytechnics shall have the following composition:

- i) Secretary, Technical Education as Chairperson.
- ii) Two members of the Governing Body of the college to be nominated by the chairman of whom one shall be an expert in academic administration.
- iii) One nominee of Minister of Technical Education.
- iv) Two academicians not below the level of Professor in Technical Education.

Note:

1. State where public service commission does the recruitment, shall follow the AICTE guidelines for deciding the composition of recruitment committee.
2. The report of screening committee shall be approved by the concerned Director of Technical Education.
3. Criteria for screening the proposals for promotion shall be devised by the respective Director, Technical Education. However, conditions for screening / promotion such as 360° feedback, industrial training, FDPs etc. laid down by AICTE through this gazette be adopted.

Annexure - III**CALCULATION OF 360° FEEDBACK SCORE**

The 360 Degree Score shall be determined on the basis of following parameters.

- a. Teaching Process (Maximum Point 25)
- b. Students' Feedback (Maximum Point 25)
- c. Departmental Activities (Maximum Point 20)
- d. Institute Activity (Maximum Point 10)
- e. ACR (10 Points)
- f. Contribution to Society (Maximum Point 10)

The candidate shall submit calculation sheet for each academic year to be considered and a summary sheet exhibiting his score on a 10 point scale

a. Teaching Process (Maximum Points 25)

The calculation shall be presented in a table as presented in this Annexure. The table will have the details of courses taught in the academic year in consideration, like Semester, course Code / Name, No. of scheduled classes, classes actually held. The total shall be reduced on 25 point scale.

b. Students' Feedback (Maximum Points 25)

The candidate shall submit average score for each course taught during academic year under consideration on a scale of 25. The average of total of all such score shall be used.

c. Departmental Activities (Maximum Points 20)

This section summarizes all the responsibilities assigned by Head of the Department to a teacher during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Lab I/C, Time Table I/C, NBA - AICTE work, sponsored projects, departmental newsletter etc. The candidate will earn 3 points per semester for each activity upto a maximum of 20.

d. Institute Activity (Maximum Points 10)

This section summaries all the responsibilities assigned by Head of the institute to the candidate during academic year under consideration through a proper office order. This may include responsibilities like Head of Department, Coordinator, Warden, Training and Placement officer, Estate Officer etc. The candidate will earn 5 points per semester for each activity upto a maximum of 10.

e. ACR (Maximum Points 10)

ACRs maintained at institute level shall have 10 points based on grading.

f. Contribution to Society (Maximum Points 10)

The candidate involved in different initiatives by AICTE. The candidate will earn 5 points per semester for each activity. The claim should be supported by an office order/ official communication from Head of Institute.

The grand total of points for all academic years shall be converted to a 10 points scale.

Note:

1. The activities mentioned in above criterion are indicative. Principal / Director / HoD may add or remove some of the activities at department and institute level as per the requirements of the institute.
2. ACRs maintained at institute level shall have 10 Marks based on grading.

Calculation of Credit Points

(Sample Calculations Page-1)

Name	
Present Position	
Academic Year	
Teaching Process	

A. Teaching Process (Max Point 25)

S. No.	Semester	Course Code/ Name	No. of Scheduled Classes	No. of actually held classes	Points earned	Enclosure No.
1	1/ 2018-19	CET-100	42	39		
2	1/ 2018-19	CET-200	39	38		
3	2/ 2018-19	MED-100	41	39		
4	2/ 2018-19	BSE-100	42	41		
		Total	164	157	23.93	

B. Students' feedback (Max Point 25)

S. No.	Semester	Course Code/ Name	Average Student feedback on the scale of 25	Enclosure No.
	1/ 2018-19	CET-100	22.3	
	1/ 2018-19	CET-200	21.8	

	2/ 2018-19	MED-100	19.6	
	2/ 2018-19	BSE-100	22.8	
		Total	86.5	

C. Departmental Activities (Max credit 20)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	1/ 2018-19	Lab I/C	3	3 Point/ semester	
2	1/ 2018-19	Consultancy	3	3 Point/ semester	
3	1/ 2018-19	Timetable I/C	3	3 Point/ semester	
4	2/ 2018-19	Timetable I/C	3	3 Point/ semester	
5	2/ 2018-19	NBA work	3	3 Point/ event	
6	2/ 2018-19	Lab I/C	3	3 Point/ event	
7	2/ 2018-19	Consultancy	3	3 Point/ semester	
		Total	21		

Calculation of Credit Points

(Sample Calculations Page-2)

D. Institute Activities (Max Credit 10)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	1/ 2018-19	Incharge internship / Swachh Bharat	4	4 Point/ semester	
2	2/ 2018-19	Coordinator appointed by Head of Institute	2	2 Point/ semester	
3	2/ 2018-19	Organized Conference	2	2 Point/ event	
4	2/ 2018-19	FDP / Conference	2	1 point / event, to be divided between all co-coordinators	

E. ACRs maintained at institute level (Max Credit 10)

Extraordinary	Excellent	Very Good	Good	Satisfactory
10	9	8	7	5

S. No.	Year	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1	2018-19	ACR	10	Extraordinary	
2		ACR	8	Very Good	
3		ACR	9	Excellent	
4		ACR	10	Extraordinary	
Average			37/4 = 9.25		

F. Contribution to Society (Max Credit 10)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1		Induction Program	5		
2		Unnat Bharat Abhiyan	5		
3		Yoga Classes	5		
4		Blood Donation	5		

Calculation of Credit Points**(Blank Format)**

Name	
Present Position	
Academic Year	
Teaching Process	

A. Teaching Process (Max Point 25)

S. No.	Semester	Course Code/ Name	No. of Scheduled Classes	No. of actually held classes	Point	Enclosure no.
1						
2						

B. Students' feedback (Max Point 25)

S. No.	Semester	Course Code/ Name	Average Student feedback on the scale of 25	Enclosure no.
1				
2				

C. Departmental Activities (Max credit 20)

S. No	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure no.
1					
2					

D. Institute Activities (Max Credit 10)

S. No	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure no.
1					
2					

E. ACRs maintained at institute level (Maximum Points 10)

S. No	Year	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure No.
1					
2					

F. Contribution to Society (Maximum Points 10)

S. No.	Semester	Activity	Credit Point	Criteria	Enclosure no.
1					
2					

Summary

Summary	Academic Year 1	Academic Year 2	Academic Year 3
A. Teaching Process (Max Points 25)			
B. Students' feedback (Max Points 25)			
C. Departmental Activities (Max Points 20)			
D. Institute Activities (Max Points 10)			
E. ACR (Max Points 10)			
F. Contribution to Society (Max Points 10)			
Total (Max Points 100)			
Total on 10 Point scale			

STUDENT'S FEEDBACK FORM*(To be used by institutions)*

Academic Year:		Name of the Faculty	
Course		Semester	
		Date of the feedback	

For getting filled in through student

S. No.	Description	Very Poor	Poor	Good	Very Good	Excellent
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Has the Teacher covered entire Syllabus as prescribed by University/ College/ Board?					
2	Has the Teacher covered relevant topics beyond syllabus					
3	Effectiveness of Teacher in terms of :					
	(a) Technical content/course content					
	(b) Communication skills					
	(c) Use of teaching aids					
4	Pace on which contents were covered					
5	Motivation and inspiration for students to learn					
6	Support for the development of Students' skill					
	(i) Practical demonstration					

	(ii) Hands on training					
7	Clarity of expectations of students					
8	Feedback provided on Students' progress					
9	Willingness to offer help and advice to students.					
	Total					

Prof. M. P. POONIA, Vice-Chairman, AICTE

[ADVT.-III/4/Ext./560/18]